

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में विद्युत व्यवस्था हेतु पदस्थ लाईनमेन

1. (*क्र. 10) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से ग्रामों की विद्युत व्यवस्था के लिये कितने लाईनमेन पदस्थ हैं ? कहां-कहां पर पद रिक्त हैं और कब तक पदस्थ किये जायेंगे ? (ख) प्रति कितने कनेक्शन/उपभोक्ताओं के पीछे कितने लाईनमेन पदस्थ करने का सेटअप सरकार द्वारा स्वीकृत है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों की विद्युत व्यवस्था के लिए संचालित विद्युत वितरण केन्द्रवार ग्रामों की सूची, पदस्थ लाईन मेन व रिक्त पदों की संख्या की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। लाईन कर्मचारियों की रिक्त पदों पर उपलब्धतानुसार पदस्थापना करने का प्रयास है। (ख) सरकार द्वारा सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया है अपितु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार केवल अर्धशहरी वितरण केन्द्र में कनेक्शन/उपभोक्ताओं के आधार पर लाईनमेन के पद स्वीकृत हैं। तदनुसार 3000 से 4500 तक 5 व 4500 से 6000 तक 04 लाईनमेन के पद स्वीकृत हैं।

विकासखण्ड कोटा के ग्राम केंदवा में प्राप्त चूनापत्थर की गुणवत्ता तथा उत्खनन की अनुमति

2. (*क्र. 76) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के ग्राम केंदुवा, वि.ख. कोटा में क्या चूनापत्थर (लाइम स्टोन) पाया गया है ? यदि हां तो, अनुमानित मात्रा कितनी है तथा उक्त पत्थर गुणवत्ता की किस श्रेणी में है ? (ख) क्या उक्त चूनापत्थर उत्खनन हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं ? यदि हां तो, कितने आवेदकों को चूनापत्थर उत्खनन की अनुमति प्रदान की गई है ? स्वीकृति दिनांक एवं नाम सहित बतावें।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलासपुर जिले के विकास खण्ड कोटा के अंतर्गत केंदुवा नाम का कोई ग्राम नहीं है अपितु तेन्दुवा नाम के ग्राम में खनिज चूनापत्थर उपलब्ध है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा ग्राम तेन्दुवा में सीमेंट श्रेणी चूनापत्थर के 132.74 लाख टन भण्डार प्रमाणित किये गये हैं। निम्न श्रेणी चूनापत्थर की उपलब्धता की भी पुष्टि की गई है परन्तु इसके भण्डारों का आंकलन नहीं किया गया है। (ख) जी हां। उक्त क्षेत्र में निम्न श्रेणी चूनापत्थर के लिए 03 उत्खननपट्टे स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

खरीफ फसल वर्ष 2009 के कृषि बीमा के संबंध में

3. (*क्र. 95) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कृषि बीमा कंपनी के नियमानुसार तहसील को अधिसूचित करने के लिये विगत 10 वर्षों की फसलों के पैदावार के आंकड़ें उपलब्ध होने चाहिये ? (ख) यदि हां तो, क्या खरीफ वर्ष 2009 में फसल बीमा के लिये बागबाहरा तहसील के कृषकों से राशि ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ? (ग) क्या वर्ष 2009 में खरीफ फसल बीमा की राशि भुगतान करने एवं 37 प्रतिशत से कम आनावारी रिपोर्ट के बाद बागबाहरा तहसील के कृषक बीमा क्षतिपूर्ति राशि पाने की पात्रता रखते हैं ? यदि हां तो, क्षतिपूर्ति (कृषक बीमा) राशि का भुगतान कब तक दे दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी हां। (ख) जी हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार कृषकों से प्रीमियम राशि ली गई। (ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधान अनुसार तहसील में अधिसूचित फसलों के फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है, न कि आनावारी रिपोर्ट के आधार पर। पात्रता अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

जिला कबीरधाम के सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र में लौह अयस्क उत्खनन की लीज हेतु प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन

4. (*क्र. 69) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31-3-2010 की स्थिति में लौह अयस्क उत्खनन लीज हेतु कितने आवेदन किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब-कब प्राप्त हुए ? (ख) प्राप्त आवेदनों में से कितनों को कब-कब स्वीकृति (लीज) प्रदान की गई ? उसका आधार एवं स्वीकृति दिनांक बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31-3-2010 की स्थिति में लौह अयस्क उत्खनन लीज (खनिपट्टा) हेतु कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उक्त आठ आवेदकों में से किसी भी आवेदक को लौह अयस्क उत्खनन लीज (खनिपट्टा) स्वीकृत नहीं किया गया है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में विद्युत पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

5. (*क्र. 121) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में कसडोल विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं विकासखण्ड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत किन-किन गांवों में लघु एवं सीमांत किसानों के विद्युत पंप कनेक्शन हेतु आवेदन लिये गये ? (ख) इनमें से कितने आवेदकों को विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों में कसडोल विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों के विद्युत पंप कनेक्शन हेतु 202 ग्रामों के कुल 1008 आवेदन लिये गये हैं. ग्रामों के नाम †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये हैं. (ख) प्राप्त 1008 आवेदनों में से कुल 542 को विद्युत पंप कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत निःशुल्क गाय एवं बैल का वितरण

6. (*क्र. 06) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आदिवासी परिवारों को निःशुल्क गाय-बैल वितरण की योजना के अंतर्गत खुज्जी विधान सभा में वर्ष 2006 से लेकर दिनांक 3-7-2010 की स्थिति तक कुल कितनी गाय-बैल का वितरण किया गया है ? वर्षवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित पशु का मूल्य सहित विवरण देवें. (ख) इस निःशुल्क वितरित गाय-बैल में से कितने की मृत होने की सूचना प्राप्त हुई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश के आदिवासी परिवारों को निःशुल्क गाय-बैल वितरण योजना के अंतर्गत खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006 से लेकर दिनांक 3-7-2010 की स्थिति तक 1121 बैलजोड़ी का वितरण किया गया. उल्लेखित वर्ष में गाय वितरण नहीं किया गया. वर्षवार बैलजोड़ी योजना के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित पशु का मूल्य सहित विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	विधान सभा क्षेत्र	लाभान्वित हितग्राही				कुल हितग्राही	पशु का मूल्य (रुपए)
		06-07	07-08	08-09	09-10 (3-7-10 तक)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	खुज्जी	702	298	121	निरंक	1121	88,45,720=00

(ख) इस निःशुल्क वितरित बैल में से 25 बैलों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई.

जिला महासमुन्द में कृषकों को स्थाई कनेक्शन हेतु जारी कार्यादेश

7. (*क्र. 138) **श्री अग्नि चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले में 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2010 तक स्थाई कनेक्शन किसानों को दिये जाने हेतु कितने कार्य आदेश जारी किये गये ? कितने कार्य पूर्ण किये गये ? कितने शेष हैं ? (ख) 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2010 तक पम्प कनेक्शन हेतु कितने कार्य आदेश जारी किये गये ? कितने कार्य पूर्ण किये गये ? कितने अपूर्ण हैं ? कार्य न हो सकने का कारण क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुन्द जिले में 01 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक किसानों को स्थायी पम्प कनेक्शन हेतु 622 पम्पों के कार्यादेश जारी किए गए हैं, इनमें से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है. (ख) 01 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक प्रदेश में पंप कनेक्शन हेतु 6927 पंपों के कार्यादेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 66 पंपों के कार्य पूर्ण किया गया है. संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्व के वर्षों में जारी कार्यादेश के अंतर्गत लंबित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य संपादित किये जा सकेंगे.

जिला जांजगीर-चांपा में स्वीकृत तथा लंबित नल जल योजनाएं

8. (*क्र. 127) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में 30 जून, 2010 तक किन-किन स्थानों में नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? वर्ष 2010-2011 में कितने हैण्डपंप स्थापित किये गये ? ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) उक्त में से कितनी और कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है ? लंबित योजनाएं कब तक पूरी की जा सकेंगी ? (ग) वर्ष 2010-11 के लिए कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2008-09 में 67 तथा वर्ष 2009-10 एवं 30 जून 2010 तक कोई भी नल जल योजना स्वीकृत नहीं है. स्थानवार विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. वर्ष 2010-11 में 173 हैण्डपंप स्थापित किये गये हैं. ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. (ख) उक्त 67 योजनाओं में से 08 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” अनुसार. निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है. (ग) वर्ष 2010-11 के लिए कोई भी योजना स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है.

जिला राजनांदगांव में विभिन्न शासकीय लोकार्पण कार्यक्रम हेतु मुद्रित आमंत्रण पत्र संबंधी

9. (*क्र. 98) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010 में (30-06-2010) तक कितने लोकार्पण कार्यक्रम का शासकीय आयोजन किया गया तथा किस-किस भवन का लोकार्पण कराया गया है ? (ख) क्या लोकार्पण कार्यक्रम हेतु आमंत्रण पत्र छपवाये गये थे ? यदि हां तो, किसके-किसके द्वारा छपवाये गये ? (ग) क्या उक्त कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया गया था ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) जी हां. केवल अटल व्यावसायिक परिसर मोहला के लोकार्पण के एक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के नाम शिलालेख में उचित क्रम में नहीं लिखे जाने का मामला प्रकाश में आया है.

प्रदेश में चिन्हांकित किम्बरलाईट स्थल, उसकी सुरक्षा तथा अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण

10. (*क्र. 131) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन-कौन से स्थान पर किम्बरलाईट (हीरा) के खदान की पहचान खनिज विभाग द्वारा की गई है, स्थानवार, गांववार, जिलेवार नाम बतायें ? इन खदानों की पहचान किस तिथि से हो गई है तिथिवार बतायें ? (ख) उक्त खदानों की सुरक्षा हेतु कहां-कहां, क्या-क्या व्यवस्था की गई है ? खदान के नाम सहित विवरण दें ? (ग) वर्ष 2005 से लेकर 03-07-2010 तक हीरा चोरी, तस्करी के कितने प्रकरण खनिज विभाग, वन विभाग एवं पुलिस के द्वारा पकड़े गये ? वर्षवार विवरण दें ? (घ) क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के हीरा खदानों की देख रेख एवं सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष सेटोलाईट से कोई एग्रीमेंट किया गया है यदि हां तो, कब किया गया है विवरण दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर जिले के ग्राम बेहराडीह, पायलीखण्ड, कोदोमाली एवं जागड़ा में तथा बस्तर जिले के ग्राम तोकापाल एवं भेजरीपदर में किम्बरलाईट की पहचान खनिज विभाग द्वारा की गई है, जिनमें से ग्राम बेहराडीह एवं

पायलीखण्ड के किम्बरलाइट में हीरा पाये जाने की पुष्टि विभाग द्वारा की गई है। किम्बरलाइट के पहचान के संबंध में ग्रामवार, जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है। (ख) हीराधारित क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था उदन्ती वनमंडल के द्वारा वन प्रबंध समितियों के सदस्यों एवं वन चौकीदारों के माध्यम से कराई जा रही है, जिसका विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है। (ग) वर्ष 2005 से लेकर 03-07-2010 तक हीरा चोरी, तस्करी के खनिज विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा दर्ज किये गये प्रकरणों का वर्षवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है। (घ) जी नहीं।

प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

11. (*क्र. 2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने शासकीय कृषि महाविद्यालय कब से कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं ? प्रत्येक महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है ? (ख) उक्त महाविद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितने पद भरे हैं ? कितने पद कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश में 05 शासकीय कृषि महाविद्यालय संचालित हैं। प्रत्येक महाविद्यालय की स्थापना वर्ष एवं उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की कुल संख्या विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	कृषि महाविद्यालय (2)	वर्ष से संचालित (3)	छात्र/छात्राओं की कुल संख्या (4)
1.	रायपुर	1961	576
2.	अंबिकापुर	2001	196
3.	बिलासपुर	2001	220
4.	जगदलपुर	2001	212
5.	कवर्धा	2007	159

(ख) उक्त 05 शासकीय कृषि महाविद्यालयों में स्वीकृत, रिक्त एवं भरे पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

शिक्षकीय पद

क्र. (1)	कृषि महाविद्यालय (2)	स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)
1.	रायपुर	90	68	22
2.	अंबिकापुर	16	06	10
3.	बिलासपुर	16	08	08
4.	जगदलपुर	16	04	12
5.	कवर्धा	16	08	08

गैर शिक्षकीय पद

क्र. (1)	कृषि महाविद्यालय (2)	स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)
1.	रायपुर	94	79	15
2.	अंबिकापुर	57	26	31
3.	बिलासपुर	57	32	25
4.	जगदलपुर	57	30	27
5.	कवर्धा	56	32	24

विभाग द्वारा जारी सेटअप स्वीकृति दिनांक 14-07-2006 से उपरोक्त पद रिक्त है एवं कृषि महाविद्यालय, कवर्धा के पद, स्थापना वर्ष 2007 से रिक्त है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत

12. (*क्र. 102) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में स्थापित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा अलग-अलग वर्ष 2009 एवं 2010 में माहवार कुल कितनी-कितनी उत्पादित बिजली में से कितनी-कितनी बिजली का उपयोग अपने स्वयं के उद्योगों में उत्पादन हेतु किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राज्य में स्थापित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा अलग-अलग वर्ष 2009 की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में तथा वर्ष 2010 की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में नलजल योजना की स्थिति

13. (*क्र. 82) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में नलजल योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में प्रदान की गयी है एवं योजना की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) जैजैपुर क्षेत्र में उक्त अवधि में स्वीकृत नलजल योजना के कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अधूरे हैं एवं कितने में कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया है विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित पृथक-पृथक बतायें ? (ग) उक्त अवधि के कार्य अपूर्ण होने एवं कार्य प्रारंभ नहीं होने का क्या कारण है एवं समस्त कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2007-08 में 18, वर्ष 2008-09 में 21 एवं वर्ष 2009-10 में निरंक नलजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है. योजना की अद्यतन स्थिति †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) उक्त अवधि में स्वीकृत 05 नल जल योजना के कार्य पूर्ण हैं. अधूरे प्रगतिरत 34 नलजल योजना की जानकारी विकासखंडवार एवं ग्राम के नाम सहित जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम 6 में दर्शित है. जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई स्वीकृत नलजल योजना नहीं है, जिसमें कोई भी कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है. (ग) उक्त अवधि में कार्य अपूर्ण होने संबंधी जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम 6 में दर्शित है. उपलब्ध आवंटन के आधार पर कार्य कराये जा रहे हैं. निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

किसानों के कृषि पम्प (3 एवं 5 हार्स पावर) के विद्युत प्रभार संबंधी

14. (*क्र. 37) **श्री नन्दकुमार पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों के कृषि पम्प (3 एवं 5 हार्स पावर) के बिजली बिल अक्टूबर, 2009 से निःशुल्क कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी यूनिट तक की बिजली निःशुल्क दी जा रही है ? (ख) वर्तमान में रायगढ़ जिले के कितने किसानों को उक्त निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है ? विकासखंडवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर 2009 से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू कर प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को 5 एच.पी. तक के एक कनेक्शन के एवज में प्रति वर्ष हितग्राही उपभोक्ता द्वारा की गई 6000 यूनिट तक की बिजली खपत पर देय विद्युत प्रभार को भुगतान से मुक्त रखा गया है. (ख) रायगढ़ जिले में कृषक जीवन ज्योति योजनान्तर्गत 3,118 किसानों को विद्युत प्रभार में छूट का लाभ दिया जा रहा है. रायगढ़ जिले के 09 विकासखण्डों में लाभान्वित कृषकों की संख्या ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है.

रायगढ़ जल आवर्धन योजना को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही

15. (*क्र. 42) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ शहर की जल आवर्धन योजना को पूर्ण करने हेतु जून 2010 तक कितनी राशि प्राप्त हुई और कितना व्यय किया गया है ? (ख) केंद्र सरकार से अगली किश्त की राशि की प्राप्ति के लिए 30-6-10 तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायगढ़ शहर की जल आवर्धन योजना को पूर्ण करने हेतु जून 2010 तक राशि रु. 829.45 लाख प्राप्त हुई है एवं रु. 824.45 लाख व्यय हुआ है. (ख) केन्द्र सरकार से अगली किश्त की राशि प्राप्ति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष शहरी विकास प्राधिकरण, रायपुर के द्वारा केन्द्र शासन को राशि जारी करने हेतु पत्र दिनांक 11-02-2010 व 06-07-2010 प्रेषित किया गया है. योजना पूर्ण करने की अवधि बताना संभव नहीं है.

मूल निवासी (छत्तीसगढ़) संबंधी प्रमाण-पत्र हेतु जारी दिशा निर्देश

16. (*क्र. 113) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु किस वर्ष के पूर्व से मूल निवासी (छत्तीसगढ़) होने की अनिवार्यता है ? क्या निर्धारित वर्ष से पूर्व मूल निवासी के निहितार्थ को परिभाषित किया गया है ? यदि हां तो, क्या ? (ख) कंडिका "क" के निर्देशों की व्याख्या करने का अधिकार किन-किन विभागों/निकायों को है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 26-12-1984 के पूर्व से (छत्तीसगढ़) मूल निवासी होने की अनिवार्यता है. जी हां. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलित निर्देश डी. क्रमांक 381-2417-एक (3)-74, भोपाल, दिनांक 11 जून, 1975 की प्रति † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रश्नांकित निर्देशों की व्याख्या करने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को है.

जिला बस्तर में मैक्रो मैनेजमेंट योजना के तहत कृषकों को प्रदत्त अनुदान

17. (*क्र. 107) **श्री संतोष बाफना** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मैक्रो मैनेजमेंट योजना के तहत बस्तर जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के माह जून तक कृषकों को किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया गया ? उक्त योजना के तहत कितने कृषकों के सॉयल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य पत्रक) बनाये गये ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमैनेजमेंट योजना के तहत बस्तर जिले में वर्ष 2009-10 में कृषकों को निम्नानुसार मदवार अनुदान दिया गया :—

		(राशि लाख रु. में)
क्र.	योजना/मद	दिया गया अनुदान वर्ष 2009-10
1.	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	19.60415
2.	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	1.00
3.	एकीकृत नाशी जीव एवं सूक्ष्म तत्व प्रबंधन	2.50
4.	कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना	27.14918
5.	न्यू इन्टरवेंशन	11.986
योग		62.23933

वर्ष 2010-11 में माह जून अंत तक कृषकों को योजनान्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिया गया. मेक्रोमैनेजमेंट वर्कप्लान अन्तर्गत एकीकृत नाशी जीव एवं सूक्ष्म तत्व प्रबंधन योजना/मद अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 2263 एवं 2010-11 में 3521 कुल 5784 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य पत्रक) तैयार किया गया है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नल जल योजना का संचालन

18. (*क्र. 11) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन गांवों में कब से नल जल योजना संचालित है ? किन-किन गांवों में 30-06-2010 की स्थिति में नल जल योजना का कार्य निर्माणाधीन है और किस-किस गांव में नल जल योजना का संचालन नहीं हो रहा है ? कारण सहित जानकारी बतायें. (ख) किन-किन गांवों में नई नल जल योजना का प्रस्ताव है और कहां-कहां पर पुरानी नल जल योजना के सुधार एवं विस्तार का प्रस्ताव है.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 19 गांवों में नलजल योजना संचालित है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. 30-06-2010 की स्थिति में कुल 12 गांवों में नल जल योजना का कार्य निर्माणाधीन है. जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. प्रपत्र "अ" के सरल क्रमांक 14 में दर्शित ग्राम पौना की योजना पंचायत द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण संचालन नहीं हो रही है. (ख) निरंक.

शा. कर्मचारियों की वेतन विसंगति हेतु गठित तिवारी समिति की अनुशंसाएं

19. (*क्र. 77) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु गठित "तिवारी समिति" की रिपोर्ट क्या शासन को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां तो, कब ? (ख) उक्त समिति की अनुशंसाएं क्या-क्या हैं, उन्हें कब से लागू किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. दिनांक 01 जून, 2009 को तिवारी समिति की अनुशंसाएं शासन को प्रस्तुत की गईं. (ख) समिति द्वारा, विभिन्न विभागों के ऐसे पदों जो ब्रम्हस्वरूप समिति में छूट गये थे अथवा उसके बाद सृजित किये गये थे अथवा जिनका वेतनमान पूर्व वेतनमान से कम हो गया था अथवा पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के पद के वेतनमान में भिन्नता थी, उन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में अनुशंसाएं की गई हैं. तिवारी समिति की अनुशंसाओं का छठवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने हेतु समिति का गठन दिनांक 08-07-2010 को किया गया है † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. उक्त समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् ही अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा, इसकी निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है.

आयोजना व्यय हेतु बजट प्रावधान

20. (*क्र. 94) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक प्रदेश के लिये कुल कितनी अनुमानित राशि का आयोजना व्यय हेतु बजट में प्रावधान किया गया था ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें. (ख) उक्त अवधि में आयोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? अनुमानित आयोजना व्यय के अनुसार वर्षवार प्रतिशत में, विभागवार जानकारी प्रदान करें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक आयोजना व्यय हेतु बजट प्रावधान †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है. (ख) वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक आयोजना पर विभागवार कुल व्यय की राशि तथा वर्षवार प्रतिशत प्रपत्र "ब" में †† संलग्न है. वर्ष 2009-10 के आयोजना व्यय के अंतिम आकड़े महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में प्रकाश इण्डस्ट्रीज को कोयला उत्खनन की स्वीकृति

21. (*क्र. 70) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में प्रकाश इण्डस्ट्रीज को कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अनुशंसा कब की गई ? (ख) क्या प्रकाश इण्डस्ट्रीज को कोयला उत्खनन की अनुमति प्राप्त हो गई है और क्या उसने कोयला उत्खनन प्रारंभ कर दिया है ? यदि हां तो, अनुमति कब प्राप्त हुई तथा 30 जून, 2010 की स्थिति में कितना कोयला उत्खनन किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रकाश इण्डस्ट्रीज ने जिला जांजगीर-चांपा में कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया है और न ही इस हेतु भारत सरकार को कोई अनुशंसा की गई है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला राजनांदगांव में अवैध खाद भण्डारण के पंजीबद्ध प्रकरण

22. (*क्र. 7) **श्री भोलाराम साहू** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010 में अवैध खाद भण्डारण एवं परिवहन के कुल कितने प्रकरण उजागर हुए हैं और इन प्रकरणों में कौन-कौन से प्रकार की खाद, कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य की बरामद की गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित प्रकरणों में किस-किस व्यक्ति/फर्म/संस्था के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010 में अवैध खाद (उर्वरक) भण्डारण के तीन एवं परिवहन का एक प्रकरण उजागर हुआ है. इन प्रकरणों में डी.ए.पी. व पोटाश खाद जिसकी मात्रा क्रमशः डी.ए.पी. 1422.30 मि. टन व म्यूरेट ऑफ पोटाश 261.20 मि. टन जिसका मूल्य क्रमशः लगभग 148.596 लाख रुपये तथा 12.218 लाख रुपये है, बरामद की गई. (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित

जब्त किये गए रासायनिक खाद के संबंध में व्यक्ति/फर्म/संस्था के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मजरा/टोलों का विद्युतीकरण

23. (*क्र. 128) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 30 जून, 2010 की स्थिति में कितने ग्राम के मजरा/टोलों में विद्युतीकरण किया गया है ? (ख) कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सन् 2001 की जनगणना विवरण में ग्रामों के मजरा/टोलों का उल्लेख नहीं है तथापि जांजगीर-चांपा जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 103 ग्रामों के जिन मजरा/टोलों/रिहायशी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, के विद्युतीकरण कार्य दिनांक 30 जून 2010 तक पूर्ण कर लिये गये हैं. (ख) वर्तमान स्थिति में पामगढ़ विधान सभा के 25 ग्रामों के मजरा/टोलों/रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जाना शेष है जिनमें से 9 ग्रामों के अविद्युतीकृत मजरा/टोलों/रिहायशी क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है.

जिला राजनांदगांव में रासायनिक खाद के अवैध संग्रहण पर कार्यवाही

24. (*क्र. 132) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह 01-04-2010 से लेकर माह 30-06-2010 के मध्य राजनांदगांव जिले में प्रशासन द्वारा किस-किस स्थान पर अवैध रूप से संग्रहित कौन-कौन सी रासायनिक खाद कब-कब जप्त की गई ? मात्रा सहित विवरण दें ? (ख) प्रश्न "क" में पूछे गये एवं जप्त किये गये रासायनिक खाद के अवैध भण्डारण में क्या-क्या कार्यवाही किसके ऊपर की गई है ? प्रकरणवार, तिथिवार, नामवार विवरण दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) विवरण निम्नानुसार है :—

1. श्री श्यामसुंदर लोहिया के बसंतपुर स्थित गोदाम में भण्डारित 639.80 मि. टन डी.ए.पी. दिनांक 31-05-10 को जब्त की गई है.
2. श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, गोदाम पार्रीनाला में भण्डारित 782.50 मि. टन डी.ए.पी. दिनांक 02-06-2010 को जब्त की गई है.
3. श्री छगनलाल गजरा, गोदाम लखोली में भण्डारित 261.20 मि. टन म्यूरेट आफ पोटाश दिनांक 05-06-2010 को जब्त की गई.

(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जब्त रासायनिक खाद के अवैध भण्डारण के संबंध में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (क) (1) के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. विस्तृत विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

मंत्रि परिषद् की अनुमति से संविदा नियुक्ति

25. (*क्र. 103) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009 एवं 2010 में राज्य मंत्रि परिषद् की सहमति से किनकी-किनकी संविदा नियुक्ति किन-किन पदों पर कितने-कितने वेतनमान में कितनी-कितनी अवधि के लिए कब-कब, किन-किन शर्तों के अधीन की गई है ? इनमें से राजपत्र में किनका-किनका प्रकाशन कब-कब किया गया है ? तथा ये वर्तमान में कहां-कहां पदस्थ हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिला के विकासखण्डों में स्वीकृत नल-जल योजनाएं

1. (क्र. 38) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2009 से जून 2010 तक रायगढ़ जिले के किन-किन विकासखंडों के कौन-कौन से गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि की नल जल योजना स्वीकृत है ? (ख) स्वीकृत योजनाओं में से किन-किन ग्रामों में योजनायें पूर्ण कर ली गई है ? कितनी योजनायें अपूर्ण है ? अपूर्ण रहने का कारण क्या है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विकासखंड रायगढ़ के ग्राम नन्देली की नलजल योजना राशि रु. 15.50 लाख स्वीकृत है. (ख) ग्राम नन्देली की नलजल प्रदाय योजना पूर्ण है.

जिला जांजगीर-चांपा में ग्राम सुराज अभियान 2010 के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति

2. (क्र. 83) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में ग्राम सुराज अभियान 2010 के तहत कुल कितने आवेदन मांग एवं शिकायतों के प्राप्त हुए ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है ? कितने शेष हैं विकासखण्डवार बतायें ? (ग) शेष बचे आवेदनों का निराकरण नहीं होने का क्या कारण है ? इन आवेदनों का निष्पादन कब तक किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में ग्राम सुराज अभियान 2010 के तहत मांग के कुल 59295 आवेदन एवं शिकायत के कुल 2327 आवेदन प्राप्त हुए. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) प्राप्त आवेदनों में से 61299 का निराकरण किया जा चुका है तथा 323 आवेदनों का निराकरण शेष है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) शेष बचे सभी आवेदनों पर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है. प्रक्रियागत कारणों से समयसीमा बताया जाना संभव नहीं.

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आमंत्रित निविदाओं को निर्धारित तिथि में खोले जाने संबंधी

3. (क्र. 114) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1 जनवरी, 2010 से 30 जून, 2010 तक कौन-कौन सी निविदाएं किन-किन मद में कितने-कितने लागत की जारी की गई ? (ख) कंडिका “क” की निविदाएं खोलने के लिए कौन-कौन सी तिथि तय की थी ? क्या निर्धारित तिथियों में निविदाएं खोली गई ? यदि नहीं तो, क्यों ? (ग) क्या कंडिका “क” की निविदाओं में प्री-क्वालिफिकेशन कागज में हेराफेरी की शिकायत भी मिली है ? यदि हां तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1 जनवरी, 2010 से 30 जून, 2010 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी, बीज एवं कृषि विकास निगम, बीज प्रमाणीकरण एवं मंडी बोर्ड के क्रमशः राशि रु. 48.30 लाख, रु. 78.00 लाख, रु. 2437.37 लाख, रु. 140.00 लाख, रु. 38.36 लाख, रु. 375.71 लाख, रु. 390.00 लाख एवं रु. 1.11 लाख लागत की निविदाएं आमंत्रित की गई है, जो †† संलग्न प्रपत्र “अ” में वर्णित है. (ख) प्रश्नांश “क” की †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाये कार्यों में से एन.आई.टी. वार नियत प्री-क्वालिफिकेशन एवं वित्तीय ऑफर खोले जाने की निर्धारित तिथियां, खोली गई निविदा की यथासंशोधित तिथियां एवं संशोधन के कारण †† संलग्न प्रपत्र “ब” में वर्णित है. (ग) जी नहीं.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला राजनांदगांव में च्वाईस सेन्टर का संचालन तथा उपलब्ध सेवाएं

1. (क्र. 8) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में च्वाईस परियोजना के अन्तर्गत कितने च्वाईस सेवा केन्द्र कहां-कहां किस-किस व्यक्ति/फर्म/संस्था के द्वारा संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित इन च्वाईस सेवा केन्द्रों में नागरिकों को क्या-क्या नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और इन नागरिक सेवाओं के एवज में कितना-कितना सेवा शुल्क नागरिकों से वसूल किया जाता है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले में च्वाईस परियोजना के अन्तर्गत कुल 07 च्वाईस सेवा केन्द्र संचालित हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. श्री प्रवीण पाल, शुक्ला काम्प्लेक्स, राजनांदगांव.
2. श्री अफसर खान, साईं मन्दिर के पास, राजनांदगांव
3. कु. नम्रता मेश्राम, स्टेशन पारा, राजनांदगांव
4. श्री रितेश चौरसिया, गुड़ाखू लाईन, राजनांदगांव
5. श्री शेष अहमद सिद्धिकी, जुनीहटरी, राजनांदगांव
6. श्री हिम्मत भाई पटेल, गीता कम्प्यूटर टांकापारा, राजनांदगांव
7. श्री उमेश ठक्कर, श्री कम्प्यूटर्स, लालबाग, राजनांदगांव

(ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित च्वाईस सेवा केन्द्रों में † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है. इन नागरिक सेवाओं के लिये † संलग्न प्रपत्र “ब” के अनुसार सेवा शुल्क लिया जाता है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खनि उत्खनन के स्वीकृत पट्टे

2. (क्र. 09) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों के खसरे में कितने खनि उत्खनन पट्टे स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने खसरे नंबर छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में 02 खनिपट्टा एवं 09 उत्खनिपट्टा स्वीकृत है. जिसका विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. स्वीकृत खनिपट्टा या उत्खनिपट्टा से संबंधित कोई भी खसरा “छोटे बड़े झाड़ के जंगल” मद में दर्ज नहीं है.

राज्य में संचालित दुग्ध संघ तथा दुग्ध का संग्रहण

3. (क्र. 24) **श्री सौरभ सिंह** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कहां-कहां पर दुग्ध संघ संचालित है और प्रतिदिन किस दर से कितने लीटर दूध का संग्रहण वर्ष 2009 और 2010 में दिनांक 30-06-2010 तक प्रतिमाह किया गया है ? (ख) इन संघों द्वारा क्या-क्या पदार्थ बनाया जाता है और इनका प्रश्न “क” में उल्लेखित अवधि के दौरान प्रतिमाह कितना उत्पादन है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) राज्य में रायपुर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, चरौदा, दुर्ग में संचालित है. दुग्ध संग्रहण की मात्रा एवं दर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) रायपुर दुग्ध संघ द्वारा घी, श्रीखण्ड, मठा, पनीर, लस्सी, मीठा दूध, मीठा दही बनाया जाता है. मासिक दुग्ध पदार्थों का उत्पादन विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

रायगढ़ जिला में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन का लक्ष्य

4. (क्र. 39) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में शुद्ध पेयजल के कुल कितने बोर हैं ? कितने बोर का पानी पीने योग्य नहीं है ? (ख) शुद्ध पेयजल में कुल कितने बोर खराब स्थिति में हैं एवं उसका

सुधार कब तक कर लिया जायेगा ? (ग) वर्ष 2010-11 में कितने बोर खोदने का लक्ष्य रखा गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें।

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 13009 बोर (हैण्डपंप) है. 476 बोर (हैण्डपंप) का पानी पीने योग्य नहीं है. (ख) शुद्ध पेयजल के कुल 13009 बोर (हैण्डपंप) में से 173 (हैण्डपंप) सुधार प्रक्रिया में है. (ग) वर्ष 2010-11 में बोर (नलकूप) खोदने का लक्ष्य विकासखंडवार निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखण्ड	प्रस्तावित नलकूप			योग
		बसाहट	स्कूल	अन्य	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बरमकेला	55	7	10	72
2.	धर्मजयगढ़	59	9	-	68
3.	घरघोड़ा	55	8	2	65
4.	खरसिया	56	8	10	74
5.	लैलूंगा	53	8	3	64
6.	पुसौर	57	8	10	75
7.	रायगढ़	55	8	11	74
8.	सारंगढ़	54	7	4	65
9.	तमनार	56	7	10	73
योग		500	70	60	630

खरसिया विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित कृषकों के आवेदन

5. (क्र. 40) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरसिया विधान सभा क्षेत्र में कितने कृषकों का आवेदन विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित हैं ? लंबित होने का कारण क्या है ? विद्युत वितरण केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) वर्तमान में कितने विद्युत पम्प कनेक्शन टी.सी.कनेक्शन के माध्यम से चल रहे हैं एवं कितने स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् डिमांड नोट कटने के एक वर्ष के बाद भी स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में खरसिया विधान सभा क्षेत्र में 299 कृषकों के आवेदन विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित है. 104 कृषकों के पंप कनेक्शन उनके द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न करने तथा 195 कनेक्शन विद्युत लाईनों के विस्तार कार्य की आवश्यकता के कारण लंबित हैं. वितरण केन्द्रवार विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :—

क्र.	पम्प कनेक्शन लंबित रहने के कारण	वितरण केन्द्र का नाम			कुल	
		खरसिया (ग्रामीण)	ऐडू	कुसमुरा कोण्डातराई		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	औपचारिकता हेतु	27	01	70	06	104
2.	विद्युत विस्तार हेतु	37	03	135	20	195
कुल		64	04	205	26	299

(ख) वर्तमान में 03 नग विद्युत पम्प कनेक्शन टी.सी. कनेक्शन के माध्यम से चल रहे हैं एवं डिमांड नोट कटने के एक वर्ष बाद 09 नग स्थायी कनेक्शन जारी नहीं किये गये हैं.

रायगढ़ जिले में बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति

6. (क्र. 55) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में विकासखंडवार कौन-कौन से मिश्रित खाद, सुपर फास्फेट, यूरिया का सहकारी समितियों एवं व्यापारियों के लिए कितने-कितने उर्वरक की पूर्ति का लक्ष्य है ? (ख) दिनांक 03-07-2010 की स्थिति में कौन-कौन से खाद विकासखंडवार कितनी-कितनी मात्रा में सहकारिता क्षेत्र एवं व्यापारियों द्वारा उठाव एवं वितरण किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायगढ़ जिले में खरीफ 2010 के लिए मिश्रित खाद, सुपर फास्फेट एवं यूरिया आदि उर्वरकों का सहकारी समितियों एवं निजी संस्थाओं (व्यापारियों) के माध्यम से वितरण के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है :-

क्रमांक (1)	उर्वरक का नाम (2)	(इकाई मे. टन)	
		सहकारिता (3)	निजी (4)
1.	यूरिया	20400	13600
2.	डी.ए.पी.	8400	5600
3.	सुपर फास्फेट	6000	4000
4.	पोटाश	2400	1600
5.	12:32:16	3300	2200
6.	28:28:0	1500	1000
7.	20:20:0:13	3000	2000
8.	15:15:15	60	40
9.	10:26:26	2400	1600
योग		47460	31640

(ख) दिनांक 03-07-2010 की स्थिति में सहकारिता क्षेत्र एवं निजी संस्थाओं (व्यापारियों) द्वारा उर्वरक उठाव एवं वितरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	उर्वरक का नाम (2)	(इकाई मे. टन)					
		उठाव			वितरण		
(1)	(2)	सहकारिता (3)	निजी (4)	योग (5)	सहकारिता (6)	निजी (7)	योग (8)
1.	यूरिया	11465.15	2618.00	14083.15	5769.15	1577.00	7346.15
2.	डी.ए.पी.	5501.50	1873.00	7374.50	4859.50	1092.00	5951.50
3.	सुपर फास्फेट	3953.50	6707.00	10660.50	1143.50	4220.00	5363.50
4.	पोटाश	1079.65	689.00	1768.65	790.85	347.00	1137.85
5.	12:32:16	9.00	76.00	85.00	0.00	0.00	0.00
6.	28:28:0	3.00	264.00	267.00	0.00	198.00	198.00
7.	20:20:0:13	2.00	1136.00	1138.00	0.00	397.00	397.00
8.	15:15:15	0.00	331.00	331.00	0.00	94.00	94.00
9.	10:26:26	0.00	806.00	806.00	0.00	350.00	350.00
10.	अन्य	222.00	211.00	433.00	222.00	24.00	246.00
योग		22,235.80	14,711.00	36,946.80	12,785.00	8,299.00	21,084.00

विकासखण्डवार, उर्वरकवार, उठाव एवं वितरण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों की स्थिति

7. (क्र. 88) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं ? (ख) उक्त ट्रांसफार्मरों में से कितने सही हैं एवं कितने कब से बंद हैं ? (ग) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या रहती है एवं इसके समाधान हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कब तक लगाये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 699 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं. (ख) दिनांक 13-07-2010 की स्थिति में लगाये गये 699 ट्रांसफार्मरों में से 11 ट्रांसफार्मर चोरी हो गये हैं एवं 02 ट्रांसफार्मर खराब हैं. बंद 02 ट्रांसफार्मर का तिथिवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है. (ग) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम में वर्तमान में लो वोल्टेज की समस्या नहीं पाई गई है. अतः अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित पशु औषधालयों हेतु भवन व्यवस्था

8. (क्र. 89) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं. विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित पृथक-पृथक बतायें ? (ख) उक्त पशु चिकित्सालयों में से कितने के पास सुविधायुक्त स्वयं का भवन उपलब्ध है एवं कितने भवन विहीन हैं ? (ग) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन पशु चिकित्सालयों में भवन की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में 2 पशु चिकित्सालय हैं. विकासखण्डवार विवरण निम्न है—

- (1) पशु चिकित्सालय, जैजैपुर
- (2) पशु चिकित्सालय, बम्हनीडीह

(ख) उपरोक्त दोनों पशु चिकित्सालयों का स्वयं का भवन है. भवन विहीन संख्या निरंक है. (ग) भवन विहीन संख्या निरंक है.

वित्तीय वर्ष 2010-2011 में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट तथा व्यय

9. (क्र. 100) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-2011 में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, आदिमजाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया ? (ख) प्रश्नांश के संबंध में बतावें की आवंटित बजट राशि में से दिनांक 30-6-2010 तक (प्रथम तिमाही) कितना व्यय किया गया ? विभागवार जानकारी देवें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, आदिमजाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आवंटित बजट †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है. (ख) दिनांक 30-6-2010 की स्थिति में चाही गई जानकारी विभागों से एकत्रित की जा रही है. जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जावेगी.

वक्फ बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधान मंडल के सदन में रखे जाने संबंधी

10. (क्र. 104) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वक्फ अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर राज्य बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना है ? यदि हां तो, बोर्ड के गठन के बाद से वार्षिक रिपोर्ट कब-कब सदन के पटल पर रखी गयी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी हां. नहीं रखी गई है. वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम की धारा 109 एवं 110 के प्रावधान अनुसार कार्य पूर्ण कर नियम एवं विनियम बनाने का निर्णय लिया गया है. नियम में वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप भी निर्धारित किया जाना है. धारा 109 एवं 110 के प्रावधान अनुसार नियम एवं विनियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. तत्पश्चात् ही वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा.

कोल वाशरियों में कोयले की प्राप्ति एवं प्रेषण

11. (क्र. 105) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर जिले में स्थापित कोल वाशरियों में वर्ष 2010 में माहवार, इकाईवार (पार्टीवार) कोयले की प्राप्ति एवं प्रेषण का विवरण अलग-अलग क्या है ? (ख) राज्य में आवंटित निजी कोल ब्लॉकों को अलग-अलग मार्किंग प्लान के अनुसार कितना-कितना कोयला निकालना था ? 1-6-2010 की स्थिति में कितना-कितना कोयला निकाला गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर दर्शित है.

जिला बस्तर में आईसोपाम (दलहन विकास कार्यक्रम) के तहत हितग्राहियों को प्रदत्त अनुदान

12. (क्र. 112) **श्री संतोष बाफना** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आईसोपाम (दलहन विकास कार्यक्रम) के तहत बस्तर जिले में कृषकों को क्या-क्या लाभ प्रदाय किये गये हैं ? (ख) कंडिका "क" में वर्णित योजना के तहत क्या कृषक खेत पाठशाला का आयोजन किया गया ? (ग) कंडिका "क" में वर्णित योजना के तहत प्रामाणिक बीज उत्पादन, मिनी किट वितरण, जैविक नियंत्रण, कीटनाशक रसायन, पौध संरक्षण यंत्र, एन.पी.व्ही., सिंचाई पाईप, स्पिंकलर सेट, उन्नत कृषि यंत्र प्रदाय किये जाने बाबत कितने हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया गया ? विकासखण्डवार विवरण दें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) आईसोपाम (दलहन विकास कार्यक्रम) के तहत बस्तर जिले में वर्ष 2009-10 में कृषकों को प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण, मिनीकिट वितरण, फसल प्रदर्शन, आई.पी.एम. बायोइन्टेसिव, पौध संरक्षण यंत्र वितरण, आई.पी.एम. सूक्ष्म तत्व वितरण, कल्चर वितरण, सिंचाई पाईप वितरण तथा अन्तरवर्तीय फसलों को प्रोत्साहन घटकों में योजना के प्रावधान अनुसार अनुदान लाभ प्रदाय किया गया तथा कृषक खेत पाठशाला का आयोजन किया गया. (ख) जी हां. (ग) कंडिका "क" में वर्णित योजना के तहत वर्ष 2009-10 में प्रमाणित बीज उत्पादन, मिनीकिट वितरण, जैविक नियंत्रण, कीटनाशक रसायन, पौध संरक्षण यंत्र, एन.पी.व्ही., एवं सिंचाई पाईप वितरण पर घटकों में कुल 9818 हितग्राहियों को राशि रुपये 4.535 लाख का अनुदान दिया गया विकासखंडवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में है. वर्ष 2009-10 में भारत शासन से स्वीकृत योजना में स्पिंकलर एवं उन्नत कृषि यंत्र घटक का लक्ष्य न होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

13. (क्र. 117) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच में हाईपावर कमेटी ने मंत्रालयीन सेवा के कितने अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण-पत्र को फर्जी करार दिया है ? नाम व पदनाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" की जांच किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ चल रही है ? उनके नाम, पदनाम सहित बतावें ? (ग) कंडिका "क" के दोषियों में से कितने लोगों ने न्यायालय से स्थगन लिया है ? स्थगन वेकेट कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच में हाईपावर कमेटी ने मंत्रालयीन सेवा के 08 अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया है. नाम व पदनाम †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) कंडिका "क" की जांच 13 अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ चल रही है. नाम व पदनाम †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) कंडिका "क" के दोषियों में से 06 लोगों ने न्यायालय से स्थगन लिया है. स्थगन वेकेट कराने के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" पर है.

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने की निर्धारित समय-सीमा

14. (क्र. 118) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायकों के पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी से उन्हें अवगत कराने हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित है ? (ख) इस अवधि का पालन न करने पर संबंधितों के खिलाफ क्या शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है ? यदि हां तो, किन नियमों के तहत ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 15 दिवस में अंतरिम उत्तर देने साथ ही प्राप्त पत्रों का निराकरण यथासंभव अतिशीघ्र करने के निर्देश है. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में नल-जल योजना के तहत स्वीकृत कार्य

15. (क्र. 125) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसडोल अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 (जून, 2010 तक) में नल-जल योजना के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस गांव के लिए स्वीकृत की गई ? स्वीकृत हुए कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) पूर्व में संचालित नल जल योजना किन-किन गांवों में कब से बंद है ? उसे कब तक ठीक कर लिया जायेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2008-09 में ग्राम पिसीद विकासखंड कसडोल के लिए रुपये 24.99 लाख, ग्राम छेरकापुर विकासखंड पलारी के लिए रुपये 47.42 लाख एवं ग्राम पनगांव विकासखंड बलौदाबाजार के लिए रुपये 64.85 लाख स्वीकृत की गई. वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कोई भी नल-जल योजना स्वीकृत नहीं हुई. ग्राम पिसीद एवं छेरकापुर का कार्य पूर्ण है. ग्राम पनगांव में 80% पूर्ण है. (ख) ग्राम रोहासी विकासखंड पलारी दिसम्बर 2008 से, ग्राम कुसमी विकासखंड पलारी फरवरी 2008 से एवं ग्राम कोहरौद विकासखंड बलौदाबाजार फरवरी 2005 से बंद है. निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत बोर खनन कार्य

16. (क्र. 126) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 (जून, 2010 तक) में कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं विकासखंड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत बोर खनन के कितने कार्य स्वीकृत हुए ? (ख) स्वीकृत कार्यों की कार्य करने की अवधि क्या थी ? वर्तमान में कितने बोर किन-किन गांवों में हुये हैं ? (ग) इनमें से कितने सफल एवं कितने असफल है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड पलारी, कसडोल एवं विकासखंड बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत बोर खनन के लिए वर्ष 2008-09 में 204 नग, वर्ष 2009-10 में 59 नग एवं वर्ष 2010-11 (जून 2010 तक) में 110 नग कार्य स्वीकृत हुए. (ख) स्वीकृत कार्य स्वीकृत वर्ष में ही पूर्ण किया जाना है. वर्तमान में 368 बोर खनित किये गये हैं. ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. (ग) खनित नलकूपों में 262 नग सफल एवं 106 नग असफल है.

जिला जांजगीर-चांपा में अनु. जाति के विकास हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्य

17. (क्र. 129) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कृषि विभाग के अन्तर्गत अनु. जाति के विकास हेतु 2009-10 एवं 2010-11 में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु कब-कब स्वीकृत की गई ? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में संचालनालय कृषि, कृषि विभाग के अन्तर्गत अनु. जाति के विकास हेतु 2009-10 में राशि रुपये 124.55 लाख एवं 2010-11 में राशि रुपये 95.998 लाख कुल राशि रुपये 220.548 लाख निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति की गई. कार्यवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक (अ एवं ब) में है. (ख) उक्त राशि से जिले के विभिन्न ग्रामों में कराये गये कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो (अ एवं ब) पर है.

छत्तीसगढ़ राज्य के अनु. जाति एवं जनजाति के आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारियों की जानकारी

18. (क्र. 130) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी पदस्थ हैं ? नामवार व विभागवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या छत्तीसगढ़ राज्य के भी अधिकारी हैं ? जन्म स्थानवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा इनकी जाति सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार में रहती है. अतः प्रश्न भारत सरकार से संबंधित है.

मुंगेली तथा लोरमी विकासखंड के ग्रामों में हैण्डपम्पों का खनन तथा पावर पंप का वितरण

19. (क्र. 134) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2010 से लेकर 03-07-2010 तक बिलासपुर जिले के मुंगेली विकासखंड एवं लोरमी विकासखंड के कौन-कौन से गांव में कितने-कितने स्थानों पर हैंडपम्प का खनन किया गया है ? (ख) प्रश्न “क” में पूछी गयी अवधि में एवं विकासखंडों में कौन-कौन से गांव में पावर पम्प का वितरण किया गया है ? (ग) वर्ष 2009-10 के विधायक विकासनिधि से लोरमी ब्लॉक में गांवों में पी.एच.ई.डी. को ट्यूबवेल खनन हेतु प्रदान की गई राशि में से कहां-कहां ट्यूबवेल का खनन हो गया है एवं कहां-कहां नहीं हो पाया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 1 जनवरी, 2010 से लेकर 03-07-2010 तक बिलासपुर जिले के मुंगेली विकासखंड के 81 ग्रामों में 89 नलकूपों का खनन हैण्डपंप हेतु एवं लोरमी विकासखंड के 30 ग्रामों में 44 नलकूपों का खनन हैण्डपंप हेतु किया गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) बिलासपुर जिले के मुंगेली विकासखंड के 144 ग्रामों में 145 पावर पंप एवं लोरमी विकासखंड के 46 ग्रामों में 47 पावर पंपों का वितरण (स्थापना) किया गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार. (ग) वर्ष 2009-10 के विधायक विकासनिधि से लोरमी ब्लॉक के 2 ग्राम मारूकापा एवं कुदुरताल में कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 04 ग्राम क्रमशः गैलूगांव, बरमपुर, केस्तरपुर एवं नवलपुर में ट्यूबवेल (नलकूप) खनन कार्य नहीं हो पाया है.

राजिम, फिंगेश्वर एवं गरियाबंद, छुरा क्षेत्र में पेयजल योजना संबंधी

20. (क्र. 135) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजिम, फिंगेश्वर एवं गरियाबंद, छुरा के शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल से संबंधित क्या-क्या योजना बनाई गई है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : राजिम, फिंगेश्वर एवं गरियाबंद, छुरा के शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल से संबंधित अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है.

महासमुंद जिले में रासायनिक खाद एवं बीज का भण्डारण

21. (क्र. 141) **श्री अग्नि चंद्राकर** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में कृषि कार्य “खरीफ” हेतु कितने अनुपात में खाद एवं बीज की आवश्यकता अनुमानित है ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित आवश्यकता अनुसार जिले में रासायनिक खाद एवं बीज का भण्डार कितना है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) महासमुंद जिले में कृषि कार्य खरीफ 2010 के लिये निम्नानुसार खाद एवं बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

क्रमांक	विवरण	लक्ष्य
1.	खाद	65400 मे. टन
2.	बीज	31200 विंव.

(ख) उत्तर “क” में वर्णित लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 15-07-2010 तक रासायनिक खाद एवं बीज का भण्डारण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विवरण	कुल भण्डारण
1.	खाद	44217 मे. टन
2.	बीज	38434.65 विंव.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 10) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामों की विद्युत व्यवस्था के लिए संचालित विद्युत वितरण केन्द्रवार ग्रामों की सूची, पदस्थ लाईनमेन व रिक्त पद का विवरण

क्र.	विद्युत वितरण केन्द्र का विवरण	वितरण केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची	लाईनमेन के स्वीकृत पद	पदस्थ लाईनमेन की संख्या व ग्राम मुख्यालय का नाम	लाईनमेन के रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अकलतरा (शहर) वि. के. मुख्यालय	अकलतरा, खिसोरा, तरौद	2	अकलतरा में लाईनमेन पदस्थ नहीं है	2
2.	अकलतरा (ग्रामीण)	तिलई, अमरताल, गढौला, कापन, खपरीडीह, मुड़पार, परसदा, धनवा, तागा, मुरलीडीह, पौना, किरारी, लिलवाडीह. पोड़ीदल्हा, कटघरी, पचरी (पोड़ी), झिरिया, सोनादुला, सांकर, फरहदा, मधुवा, अकलतरी, पिपरसत्ती, चंगोरी, अमलीपाली, सोनडीह, परसाही (नाला), दल्हादमामी, सरईगुहन. कोटगढ़, खटोला, बरगवां, महमदपुर, कटनई, खोड़, देवरी, साजापाली, मौहाडीह, सुंवरमाल, सोनईडीह, बिरकोनी, नवापारा, सरईपाली, बरपाली, बरबसपुर, पचरी, बम्हनीन, बाना, परसाही (बाना), करहीडीह कोटमीसोनार, अमेरी, पकरिया, रसेड़ा, कल्याणपुर, दर्राटांड, लटिया.	2	अकलतरा में एक लाईनमेन पदस्थ है	1
3.	नरियरा वि. के. मुख्यालय	नरियरा, सोनसरी, बनाहिल, झलमला, पकरिया मुलमुला, आरसमेटा, गेंदाडीह, परसदा अमोरा, मुरलीडीह, अर्जुनी, करूमहं, रोगदा	2	ग्राम नरियरा व मुलमुला में एक-एक लाईनमेन पदस्थ है	निरंक
4.	खिसोरा वि. के. मुख्यालय	खिसोरा, नवगंवा, बगडबरी, देवरी, खैजा, बेलटुकरी, कोलिहादेवरी, बोकोरल, हरदीविशाल, सोनबरसा, काठापाली, पुरैना, बोकरामुड़ा, मधईपुर, कुरमा. पंतोरा, बकसरा, हेडसपुर, अंगारखार, कुरमा, खारी, केराकछार, केन्या, चेतापाली, गतवा, खमरपारा. बुड़गहन, डांगी पेन्डी, कटरा, नवापारा, लेवाई	2	ग्राम खिसोरा में एक लाईनमेन पदस्थ है	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	बलौदा वि. के. मुख्यालय	बलौदा, जूनाडीह, बसहा, महुदा, ओड़गी, नवापारा, कोरबी, कोरबी महंत, डोंगरी, बिरगहनी, रसौटा, देवकोनी, धौराकेना, आमानारा, बघौद, सुल्ताननार, पिपरदा, चंदनिया, ढोरला, पंडरिया, शनिचराडीह, चारपारा, झपेली, बेलियाडीह, भिलाई, बुचीहरदी. पहरिया, पोच, धरदेई, खोहा, गोवाबंद, बैजलपुर, रैनपुर, मदनपुर, नवागांव, पदसदा, सतीगुड़ी, करमंदा, कलमीटार, खरमोरा. हरदी, जावलपुर, जर्वे, भेंसतरा, औराईकला, औराईखुर्द, देहकोनी, परसाभाठा, उसलापुर, नगपुरा.	2	ग्राम बलौदा में दोनों लाईनमेन पदस्थ हैं	निरंक
कुल			10	6	4

परिशिष्ट “दो ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 76) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	पट्टेदार का नाम	आवेदन प्राप्ति का दिनांक	खनिज का नाम	ग्राम/तहसील	रकबा (हेक्टर)	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री सुनील कुमार शुक्ला पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, निवासी बिलासपुर.	15-6-2007	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	तेन्दुवा/कोटा	4.00	क्रमांक 5206, दिनांक 14-2-2008	10 वर्ष, दिनांक 17-2-2008 से 16-2-2010
2.	श्री रामजीवन जाजोदिया पिता श्री मन्नाराम जाजोदिया, निवासी तोरवा, बिलासपुर.	14-11-1999	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	तेन्दुवा/कोटा	1.863	क्रमांक 2983, दिनांक 31-12-2002	10 वर्ष, दिनांक 17-11-2000 से 16-11-2010
3.	श्री सतीश उपाध्याय आत्मज श्री रंगनाथ उपाध्याय, सामुदायिक भवन के सामने, मुंगेली, बिलासपुर	03-10-2009	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	तेन्दुवा/कोटा	2.00 एकड़	क्रमांक 241, दिनांक 21-4-2010	अनुबंध की कार्यवाही प्रचलित है.

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 69) के भाग (क) की जानकारी]

खनिपट्टा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की जानकारी

क्र. (1)	आवेदक का नाम व पता (2)	आवेदन प्राप्ति दिनांक (3)
1.	मेसर्स कालन्द्नी इस्पात प्रायवेट लिमिटेड सिरगिटी, बिलासपुर	25-05-2006
2.	मेसर्स एन. आर. स्पंज प्रायवेट लिमिटेड सोना टावर देशबन्धु प्रेस सामता कालोनी, रायपुर.	03-07-2006
3.	छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, संचालक आलोक चौधरी क्षेत्रीय कार्यालय, 142 शहीद स्मार्क काम्पलेक्स जी. ई. रोड, रायपुर.	17-11-2006
4.	छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, संचालक आलोक चौधरी क्षेत्रीय कार्यालय, 142 शहीद स्मार्क काम्पलेक्स जी. ई. रोड, रायपुर.	17-11-2006
5.	मेसर्स नीरोस इस्पात प्रा. लिमिटेड, भिलाई जिला दुर्ग	6-12-2006
6.	मेसर्स नीरोस इस्पात प्रा. लिमिटेड, भिलाई जिला दुर्ग	6-12-2006
7.	मेसर्स वन्दना इस्पात लि. रायपुर	16-5-2007
8.	मेसर्स वन्दना इस्पात लि. रायपुर	1-10-2007

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 121) के भाग (क) की जानकारी]

कसडोल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सूची जहां के लघु एवं सीमांत किसानों के विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन लिये गये हैं

क्षेत्र का नाम (1)	क्रमांक (2)	ग्राम का नाम (3)	क्षेत्र का नाम (1)	क्रमांक (2)	ग्राम का नाम (3)
पलारी विकासखण्ड	1	कौड़िया	पलारी विकासखण्ड	43	सकरी स
	2	लकड़िया		44	चरौदा
	3	खपरी		45	छेरकाडीह
	4	वटगन		46	अमलीडीह
	5	पठारीडीह		47	फूंडरडीह
	6	संडी		48	ठेलकी
	7	अहमदपुर		49	बेल्हा
	8	औरासी		50	कानाकोट
	9	सकरी		51	देवगाँव
	10	सैहा		52	कोसमंदी
	11	सिसदेवरी		53	घिरघोल
	12	केशला		54	मतवारी
	13	अछोली		55	रोहांसी
	14	हरिनभाठा		56	दातान स
	15	बोईरडीह		57	भवानीपुर
	16	दातानखैरा		58	परसवानी
	17	सोनारदेवरी		59	गैतरा
	18	छड़िया		60	पलारी
	19	रसौटा		61	घोटिया
	20	दातान		62	चोरहाडीह
	21	धौराभाठा		63	मुड़पार
	22	रेवाडीह		64	परसाडीह
	23	ओडान		65	तिल्दा
	24	अमसेना		66	बिजराडी
	25	सलौनी		67	बोदा
	26	गिधपुरी		68	दतरेंगी
	27	बेलवाडीह		69	छिराही
	28	पहंदा		70	नगपुरा
	29	रामपुर		71	गितकेरा
	30	मोहान		72	मुसवाडीह
	31	तेलासी		73	खेलवारडीह
	32	जंगलोर		74	बांसबिनौरी
	33	गातापार		75	गबौद
	34	सर्रा		76	ससहा
	35	जारा		77	साराडीह
	36	मलपूरी		78	देवसुन्द्रा
	37	सकरी द		79	बोरतरा
	38	गाड़ाभाठा		80	सेमरिया
	39	दातान ग		81	अमेठी
	40	चूचूरूंगपुर		82	कौआडीह
	41	जर्वे		83	बनगबौद
	42	कोदवा		84	खपरी भ

क्षेत्र का नाम (1)	क्रमांक (2)	ग्राम का नाम (3)	क्षेत्र का नाम (1)	क्रमांक (2)	ग्राम का नाम (3)
पलारी विकासखण्ड	85	कुसमी	कसडोल विकासखण्ड	131	रिकोकला
	86	भरूवाडीह		132	करमेल
कसडोल विकासखण्ड	87	छेछर	133	बानीखार	
	88	कटगी	134	छाता	
	89	बैगनडबरी	135	निठोरा	
	90	पुटपुरा	136	मानदीप	
	91	अवराई	137	चांदन	
	92	नंदनिया	138	नगरदा	
	93	पिपरछेड़ी	139	थरगांव	
	94	झबड़ी	140	सुखरी	
	95	मोतीपुर	141	देवगांव	
	96	मुढ़पार	142	बाधमडा	
	97	परसदा	143	छतवन	
	98	भदरा	144	नगेड़ा	
	99	मोहतरा	145	सोनपुर	
	100	खैरा	146	रूनझुनी	
	101	खर्वे	147	कलमीदादर	
	102	कोट	148	बरपानी	
	103	कसडोल	149	भानपुर	
	104	खर्नी	150	देवरूम	
	105	बल्दाकछार	151	मगरदरहा	
	106	खैरा ब	152	ठेलका डबरी	
	107	पिकरी	बलौदा बाजार आर.	153	खपरी मेढ़
	108	असनीद	आई. सर्किल लवन	154	नयापारा डमरू
	109	टेमरी		155	डमरू
	110	मड़कड़ा		156	सरसेनी
	111	दर्रा		157	खर्चा
	112	बैजनाथ		158	केशला
	113	मेटकुला		159	मेढ़
	114	धामलपुरा		160	रसेड़ा
	115	देवपुर		161	रसेड़ी
	116	गिधपुरी		162	केशला अमेरा
117	नवाडीह		163	मुसवाडीह	
118	डूमरपाली		164	अमेरा	
119	रंगोरा		165	चिचिरदा	
120	बरगांव		166	सूढ़ेला	
121	खैरा		167	डोंगरीडीह	
122	गोलाझर		168	ताराशिव	
123	कुम्हारी		169	सूढ़ेली	
124	अमरूवा		170	पैजनी	
125	रिकोखुर्द		171	बिटकूली	
126	कुसगढ़		172	सेमरिया	
127	पौहा जुनवानी		173	घूलघूल	
128	नगरी		174	मुंडा	
129	कुसभाठा		175	पनगाँव	
130	बिलारी		176	डोंगरा	

क्षेत्र का नाम (1)	क्रमांक (2)	ग्राम का नाम (3)	क्षेत्र का नाम (1)	क्रमांक (2)	ग्राम का नाम (3)
बलौदा बाजार आर.	177	अमलकुंडा	बलौदा बाजार आर.	191	पंडरिया
आई. सर्किल लवन	178	खटियापाटी	आई. सर्किल लवन	192	खैंदा
	179	ढाबाडीह		193	मरदा
	180	खम्हरिया		194	लवन
	181	बोईरडीह		195	तुरमा
	182	सिरियाडीह		196	भरसेला
	183	धाराशिव		197	पैंसर
	184	बगबूड़ा		198	सरखोर
	185	भदरा		199	खैरा
	186	कुम्हारी		200	बरदा
	187	मीश्राईनडीह		201	अमलीडीह
	188	धनगाँव		202	हरदी
	189	कोयदा			
	190	सिंघारी			

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 127) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 एवं 30 जून 2010 तक स्वीकृत नल जल योजनाओं की विकासखण्डवार एवं स्थानवार जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम/स्थान का नाम	योजना स्वीकृति वर्ष	
			वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10 एवं 30 जून 2010 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवागढ़	केरा	2008-09	-
2.	नवागढ़	दहिदा	2008-09	-
3.	नवागढ़	रोगदा	2008-09	-
4.	नवागढ़	अमोदा	2008-09	-
5.	नवागढ़	भैंसमुड़ी	2008-09	-
6.	नवागढ़	बनारी	2008-09	-
7.	नवागढ़	मिस्ता	2008-09	-
8.	नवागढ़	गौद	2008-09	-
9.	नवागढ़	खोखसा	2008-09	-
10.	नवागढ़	तुष्मा	2008-09	-
11.	नवागढ़	धुरकोट	2008-09	-
12.	नवागढ़	बुड़ेना	2008-09	-
13.	नवागढ़	सरखों	2008-09	-
14.	नवागढ़	खोखरा	2008-09	-
15.	बम्हनीडीह	सरहर	2008-09	-
16.	बम्हनीडीह	झरना	2008-09	-
17.	बम्हनीडीह	देवरी	2008-09	-
18.	बम्हनीडीह	कड़ारी	2008-09	-
19.	बम्हनीडीह	लखाली	2008-09	-
20.	बम्हनीडीह	सारागांव	2008-09	-
21.	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	2008-09	-
22.	बम्हनीडीह	पोंडीशंकर	2008-09	-
23.	अकलतरा	कटघरी	2008-09	-
24.	अकलतरा	हरदी	2008-09	-
25.	अकलतरा	चंगोरी	2008-09	-
26.	अकलतरा	कोटगढ़	2008-09	-
27.	अकलतरा	सांकर	2008-09	-
28.	अकलतरा	पकरिया (झू)	2008-09	-
29.	बलौदा	औराईकला	2008-09	-
30.	बलौदा	लक्षनपुर	2008-09	-
31.	बलौदा	बुड़गहन	2008-09	-
32.	बलौदा	पिसौद	2008-09	-
33.	पामगढ़	कोसा	2008-09	-
34.	पामगढ़	कोड़ाभाठ	2008-09	-
35.	सक्ती	डूमरपारा	2008-09	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	सक्ती	सरकेली (ब)	2008-09	-
37.	सक्ती	नंदौरखुर्द	2008-09	-
38.	सक्ती	राजा	2008-09	-
39.	सक्ती	किरारी	2008-09	-
40.	सक्ती	बाराद्वार (ब)	2008-09	-
41.	जैजैपुर	किकिरदा	2008-09	-
42.	जैजैपुर	कैथा	2008-09	-
43.	जैजैपुर	करही	2008-09	-
44.	जैजैपुर	खम्हरिया	2008-09	-
45.	जैजैपुर	परसाडीह	2008-09	-
46.	जैजैपुर	नंदेली	2008-09	-
47.	जैजैपुर	ठठारी	2008-09	-
48.	जैजैपुर	टूंठी	2008-09	-
49.	जैजैपुर	चिखलरौंदा	2008-09	-
50.	जैजैपुर	सिरली	2008-09	-
51.	जैजैपुर	जैजैपुर	2008-09	-
52.	जैजैपुर	अमोदा	2008-09	-
53.	जैजैपुर	खजुरानी	2008-09	-
54.	जैजैपुर	कोटेतरा	2008-09	-
55.	डभरा	चुरतेला	2008-09	-
56.	डभरा	सकराली	2008-09	-
57.	डभरा	बालपुर	2008-09	-
58.	डभरा	बघौद	2008-09	-
59.	डभरा	फरसवानी	2008-09	-
60.	मालखरौदा	बड़ेरेवेली	2008-09	-
61.	मालखरौदा	कुरदा	2008-09	-
62.	मालखरौदा	पिरदा	2008-09	-
63.	मालखरौदा	मुक्ता	2008-09	-
64.	मालखरौदा	अमलीडीह	2008-09	-
65.	मालखरौदा	बड़ेमुड़पार	2008-09	-
66.	मालखरौदा	मोहदीकला	2008-09	-
67.	मालखरौदा	कलमी	2008-09	-

प्रपत्र "ब"

जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2010-11 में स्थापित किये गये हैण्डपंपों की ग्रामवार जानकारी

क्र. (1)	विकास खण्ड (2)	ग्राम का नाम (3)	स्थापित हैण्डपंप की संख्या (4)
1.	नवागढ़	सुकली	1
2.	नवागढ़	पचेड़ा	1
3.	नवागढ़	कनई	2
4.	नवागढ़	कुटरा	3
5.	नवागढ़	पेंड्री	2
6.	नवागढ़	अवरीद	2
7.	नवागढ़	चौराभांठा	1
8.	नवागढ़	कुथुर	1
9.	नवागढ़	मिस्ता	2
10.	नवागढ़	किरीत	2
11.	नवागढ़	बरागांव	1
12.	नवागढ़	केरा	1
13.	नवागढ़	अकलतरी	1
14.	नवागढ़	केसला	1
15.	नवागढ़	सरखों	1
16.	नवागढ़	खोखसा	1
17.	नवागढ़	कोटिया	1
18.	नवागढ़	बोड़सरा	1
19.	नवागढ़	सिवनी	1
20.	अकलतरा	पोंडीदल्हा	3
21.	अकलतरा	परसाहीनाला	1
22.	अकलतरा	पिपरसत्ती	3
23.	अकलतरा	अर्जुनी	1
24.	अकलतरा	बरबसपुर	1
25.	अकलतरा	साजापाली	1
26.	अकलतरा	हरदी	1
27.	अकलतरा	बाना	1
28.	अकलतरा	करहीडीह	1
29.	अकलतरा	कटघरी	1
30.	अकलतरा	कोटगढ़	1
31.	अकलतरा	भैंसतरा	2
32.	अकलतरा	सोनसरी	1
33.	अकलतरा	बुचीहरदी	1
34.	अकलतरा	मधुवा	1
35.	अकलतरा	देवरी	1
36.	अकलतरा	सराईपाली	1
37.	अकलतरा	फरहदा	1
38.	अकलतरा	आरसमेटा	2
39.	बलौदा	डोंगरी	2
40.	बलौदा	काठापाली	1
41.	बलौदा	महुदा	2

(1)	(2)	(3)	(4)
42.	बलौदा	कुरदा	1
43.	पामगढ़	कोड़ाभाठ	2
44.	पामगढ़	चुरतेला	1
45.	पामगढ़	भुईगांव	1
46.	पामगढ़	बरगांव	3
47.	पामगढ़	रसौटा	1
48.	पामगढ़	पामगढ़	3
49.	पामगढ़	पचरी	1
50.	पामगढ़	कोसीर	4
51.	पामगढ़	भैंसो	1
52.	पामगढ़	सेमरिया	2
53.	पामगढ़	हिरी	1
54.	पामगढ़	ससहा	1
55.	पामगढ़	कुटराबोड़	1
56.	पामगढ़	भदरा	1
57.	पामगढ़	लगरा	1
58.	पामगढ़	लोहसी	1
59.	पामगढ़	कोसला	1
60.	पामगढ़	पकरिया	1
61.	सक्ती	डोंडकी	1
62.	सक्ती	जाजंग	1
63.	सक्ती	बेलाचुंवा	1
64.	सक्ती	डुमरपारा	1
65.	सक्ती	जगदल्ला	1
66.	सक्ती	डंगबोरा	1
67.	सक्ती	पोरथा	1
68.	सक्ती	पासिद	1
69.	सक्ती	बरपालीकला	1
70.	सक्ती	बोकुरामुड़ा	1
71.	सक्ती	कांदानारा	1
72.	सक्ती	सुंदरेली	1
73.	सक्ती	सोंठी	1
74.	सक्ती	टेमर	1
75.	जैजैपुर	बेलादुला	1
76.	जैजैपुर	दतौद	1
77.	जैजैपुर	डोगिया	1
78.	जैजैपुर	ठठारी	1
79.	जैजैपुर	कोटेतरा	1
80.	जैजैपुर	पांडाहरदी	1
81.	जैजैपुर	नंदेली	1
82.	जैजैपुर	आमगांव	1
83.	जैजैपुर	काशीगढ़	1
84.	जैजैपुर	परसाडीह	2
85.	जैजैपुर	कुटराबोड़	1
86.	जैजैपुर	भोथीडीह	1
87.	डभरा	निमोही	1
88.	डभरा	बालपुर	2

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	डभरा	नवापारा	1
90.	डभरा	खोंधर	2
91.	डभरा	छोटे कटेकोनी	1
92.	डभरा	फरसवानी	2
93.	डभरा	ढनगन	1
94.	डभरा	छुहीपाली	1
95.	डभरा	सुखापाली	1
96.	डभरा	रामभांठा	1
97.	डभरा	डोमनपुर	1
98.	डभरा	हीरापुर	2
99.	डभरा	हरदीडीह	1
100.	डभरा	सेमरडीह	1
101.	डभरा	चुरतेली	1
102.	डभरा	लटियाडीह	1
103.	डभरा	कुसमुल	1
104.	डभरा	टुंडी	2
105.	डभरा	खैरमुड़ा	1
106.	डभरा	डुमरपाली	1
107.	डभरा	ढेकुनाभांठा	1
108.	डभरा	रेड़ा	1
109.	डभरा	दर्री	1
110.	डभरा	खैराखुर्द	1
111.	डभरा	हरदी	2
112.	डभरा	भैसामुहान	1
113.	डभरा	बरहागुड़ा	1
114.	डभरा	नवापारा (ड)	1
115.	डभरा	परसापाली	1
116.	डभरा	चंदली	1
117.	डभरा	कलमा	1
118.	डभरा	छुछुभांठा	1
119.	मालखरौदा	भडोरा	1
120.	मालखरौदा	खर्री	1
121.	मालखरौदा	छोटे कोट	1
122.	मालखरौदा	बेल्हाडीह	1
123.	मालखरौदा	परसाडीह	1
124.	मालखरौदा	भांठा	2
125.	मालखरौदा	बड़े मुड़पार	1
126.	मालखरौदा	बासीन	2
127.	मालखरौदा	नरियरा	2
128.	मालखरौदा	मरघट्टी	1
129.	मालखरौदा	देवगांव	1
130.	मालखरौदा	नवापारा	1
131.	मालखरौदा	रनपोटा	1
132.	मालखरौदा	मिरीनी	1
133.	मालखरौदा	फगुरम	1
134.	मालखरौदा	दारीमुड़ा	1
135.	मालखरौदा	तुलसीडीह	1

(1)	(2)	(3)	(4)
136.	मालखरौदा	कुधरी	1
137.	मालखरौदा	कुलबा	1
138.	मालखरौदा	मंद्रागोढ़ी	2
योग			173

प्रपत्र "स"

जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 एवं 30 जून 2010 तक स्वीकृत योजनाओं में से पूर्ण योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम/स्थान का नाम	योजना स्वीकृति वर्ष	
			वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10 एवं 30 जून 2010 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवागढ़	सरखों	2008-09	-
2.	नवागढ़	मिस्ता	2008-09	-
3.	नवागढ़	बनारी	2008-09	-
4.	बम्हनीडीह	सारागांव	2008-09	-
5.	बम्हनीडीह	पोंडीशंकर	2008-09	-
6.	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	2008-09	-
7.	सक्ती	नंदौरखुर्द	2008-09	-
8.	जैजैपुर	जैजैपुर	2008-09	-

टीप :- सरल क्रमांक 04 एवं 08 का ग्राम/स्थान वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र है.

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 98) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2010 में दिनांक 30 जून, 2010 तक किए गए लोकार्पण कार्यक्रमों का विवरण :-

क्रमांक (1)	लोकार्पित भवन का नाम (2)	आमंत्रण पत्र छपाने वाले का नाम (3)
1.	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन, ग्राम ढाबा, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत ढाबा
2.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, ग्राम ढाबा, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत ढाबा
3.	अतिरिक्त कक्ष, ग्राम ढाबा, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत ढाबा
4.	कबीर कुटी, ग्राम खौड़ा, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत खौड़ा
5.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, ग्राम खौड़ा, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत खौड़ा
6.	खाद्य गोदाम, ग्राम कुटेलीखुर्द, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द
7.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, ग्राम कुटेलीखुर्द, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द
8.	मंच, ग्राम खैरी, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द
9.	प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द, जनपद पंचायत छुईखदान.	सरपंच, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द
10.	किचन शेड भवन, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत कुटेलीखुर्द
11.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, सीताडबरी, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत मैन्हर
12.	सांस्कृतिक मंच सिलपट्टी, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत गोपालपुर
13.	प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष ग्राम मानपुरपहाड़ी, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत मोहगांव
14.	प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष ग्राम मोहगांव, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत मोहगांव
15.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, ग्राम मोहगांव, जनपद पंचायत छुईखदान	सरपंच, ग्राम पंचायत मोहगांव
16.	जनपद पंचायत भवन मोहला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मोहला
17.	अटल व्यवसायिक परिसर मोहला, जनपद पंचायत मोहला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मोहला
18.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहला, जनपद पंचायत मोहला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मोहला

(1)	(2)	(3)
19.	रानी दुर्गावती प्रतिमा का अनावरण, ग्राम पंचायत औंधी, जनपद पंचायत मानपुर.	सरपंच, ग्राम पंचायत औंधी
20.	सामुदायिक भवन मारगांव, जनपद पंचायत डोंगरगांव	आमंत्रण पत्र नहीं छपाये गये.
21.	सामुदायिक भवन मारगांव, जनपद पंचायत डोंगरगांव	आमंत्रण पत्र नहीं छपाये गये.
22.	सामुदायिक भवन मारगांव, जनपद पंचायत डोंगरगांव	आमंत्रण पत्र नहीं छपाये गये.
23.	आंगनबाड़ी क्रमांक-2, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
24.	अतिरिक्त कक्षा प्राथमिक शाला, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
25.	अतिरिक्त कक्षा माध्यमिक शाला, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
26.	किचन शेड, माध्यमिक शाला, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
27.	निर्मलकर सामुदायिक भवन, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
28.	चंद्राकर सामुदायिक भवन, भर्रेगांव जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
29.	महिला सामुदायिक भवन, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
30.	दो दुकान, भर्रेगांव, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
31.	किचन शेड, पारीखुर्द, जनपद पंचायत राजनांदगांव	सरपंच, ग्राम पंचायत भर्रेगांव
32.	डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन, कोरचाटोला, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत कोरचाटोला
33.	बुनकर वर्कशेड प्रशिक्षण केन्द्र, चिल्हाटी, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत चिल्हाटी
34.	उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, हालमकोड़ो, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत हालमकोड़ो
35.	सार्वजनिक भवन निर्माण, ओटेबांधा, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत ओटेबांधा
36.	माध्यमिक शाला अतिरिक्त कमरा, रेंगाकठेरा, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा
37.	कांजी हाऊस भवन निर्माण, रेंगाकठेरा, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा
38.	माध्यमिक शाला अतिरिक्त कमरा, बिहरीकला, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत बिहरीकला
39.	प्राथमिक शाला अतिरिक्त कमरा, आतरगांव, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच, ग्राम पंचायत आतरगांव
40.	डॉ. अम्बेडकर मंगल भवन, आतरगांव, जनपद पंचायत अम्बागढ़ चौकी	सरपंच ग्राम पंचायत आतरगांव

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 131) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

छत्तीसगढ़ राज्य में किम्बरलाईट के पहचान के संबंध में जानकारी

क्र. (1)	वर्ष (2)	ग्राम (3)	जिला (4)	हीरे की पुष्टि (5)
1.	1991-92	पायलीखण्ड	रायपुर	हीराधारित
2.	1992-93	बेहराडीह, जांगड़ा	रायपुर	हीराधारित (केवल बेहराडीह में)
3.	1993-94	कोदोमाली	रायपुर	हीरा की पुष्टि नहीं
4.	1995-96	तोकापाल	बस्तर	हीरा की पुष्टि नहीं
5.	1996-97	भेजरीपदर	बस्तर	हीरा की पुष्टि नहीं

प्रपत्र “ब”

हीराधारित क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जानकारी

क्र.	कक्ष क्रमांक	वन प्रबंध समिति का नाम	वन प्रबंध समिति सदस्यों/वन चौकीदार की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1078	बेहराडीह	08
2.	1104	कोदोमाली	15
3.	11	पायलीखण्ड	09

हीराधारित क्षेत्र में सुरक्षा के लिये “केंपिंग हट” के निर्माण कार्य हेतु रुपये 49.91 लाख बस्तर विकास प्राधिकरण के मद से स्वीकृत करते हुए कलेक्टर आदिवासी विकास रायपुर के द्वारा वनमंडलाधिकारी उदन्ती वन मण्डल गरियाबंद को प्रदाय किया गया है.

वन, पुलिस एवं खनिज विभाग के द्वारा हीराधारित क्षेत्र में सुरक्षा हेतु सतत् निगरानी रखी जा रही है.

प्रपत्र "स"

वर्ष 2005 से लेकर 03-07-2010 तक हीरा चोरी तस्करी के पकड़े गये प्रकरण की विभागवार जानकारी

वर्ष (1)	विभाग		प्रकरण की संख्या (5)
	वन (2)	पुलिस (3)	
2005	निरंक	निरंक	निरंक
2006	निरंक	02	02
2007	निरंक	07	07
2008	03	03	06
2009	19	16	36
2010	निरंक	03	03
योग	22	31	54

परिशिष्ट “आठ”

[तारकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 102) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

राज्य में स्थापित केप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा वर्ष 2009 में माहवार उत्पादित बिजली एवं स्वयं के उद्योगों में बिजली उपयोग का विवरण

क्र.	केप्टिव विद्युत संयंत्र का नाम व पता	वर्ष 2009												Total	
		1/09	2/09	3/09	4/09	5/09	6/09	7/09	8/09	9/09	10/09	11/09	12/09		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	मे. बाल्को कोरबा	वि. उत्पादन	584.013	519.781	564.758	518.710	544.369	461.059	453.974	447.436	496.986	524.872	521.431	463.364	6100.753
		स्वयं की खपत	537.645	474.193	470.522	447.528	451.534	279.962	223.445	378.904	358.446	377.493	368.224	344.628	4712.524
2.	मे. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड रायगढ़.	वि. उत्पादन	222.470	198.210	226.240	203.720	206.630	225.560	180.330	203.270	212.080	223.230	209.420	220.180	2531.340
		स्वयं की खपत	117.490	104.620	106.730	118.210	133.150	144.250	107.080	133.850	126.340	138.950	125.550	148.340	1504.560
3.	मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा.	वि. उत्पादन	10.215	9.931	10.067	26.495	24.427	10.056	23.777	23.548	23.448	23.399	23.140	23.150	231.653
		स्वयं की खपत	10.173	9.885	10.025	26.446	24.378	10.010	23.737	23.506	23.410	23.365	23.111	23.118	231.164
4.	मे. सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन	33.445	27.912	29.379	1.133	23.833	28.192	18.790	17.493	28.031	39.517	35.248	35.123	318.096
		स्वयं की खपत	14.497	10.569	11.867	0.185	6.438	11.165	14.274	16.140	24.127	27.180	20.744	23.955	181.141
5.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड मंडिर हसौद रायपुर.	वि. उत्पादन	28.041	25.924	29.140	27.664	35.444	36.516	31.859	28.183	41.433	42.074	40.495	42.464	409.237
		स्वयं की खपत	18.947	17.357	18.747	17.827	16.121	15.574	13.432	9.920	16.115	16.048	15.333	15.447	190.868
6.	मे. सेन्चुरी सीमेन्ट बैकुंठ रायपुर.	वि. उत्पादन	15.627	14.882	16.268	16.245	15.065	13.56	12.166	16.024	15.099	15.245	15.727	15.605	181.513
		स्वयं की खपत	15.627	14.882	16.268	16.245	15.065	13.56	12.166	16.024	15.099	15.245	15.727	15.605	181.513

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.	मे. ए. सी. सी. जामुल दुर्ग.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	16.919 14.884	15.250 13.728	15.814 14.071	14.543 12.764	14.378 12.503	14.583 12.651	14.882 13.705	15.707 13.891	15.686 14.123	17.506 14.301	16.580 14.714	14.329 12.655	186.177 163.990
8.	मे. अंबुजा सीमेन्ट खान बलौदा बाजार रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	15.011 14.859	12.230 12.076	19.020 15.281	16.143 15.929	15.276 15.037	14.920 14.681	15.382 15.158	15.339 15.107	9.870 9.631	16.058 15.856	16.185 16.004	20.067 19.889	185.501 179.508
9.	मे. अल्ट्राटेक सीमेन्ट हिरसी रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	11.958 11.958	17.112 17.112	25.062 25.062	20.293 20.293	20.761 20.761	22.765 22.765	18.429 16.620	21.052 20.928	22.586 22.586	7.954 7.954	21.263 21.263	19.641 19.641	228.876 226.943
10.	मे. एम. एस. पी. स्टील एण्ड पावर जामगांव रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	13.378 13.025	13.936 13.017	11.956 11.390	11.856 11.367	12.967 12.270	13.646 13.151	13.494 13.227	14.099 10.949	12.178 11.890	16.384 15.452	15.048 14.017	12.131 11.366	161.073 151.121
11.	मे. इंडसील एनर्जी एण्ड इलेक्ट्रो केमिकल्स उला रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.532 5.503	4.882 4.873	5.645 2.299	7.254 0.580	7.414 0.915	6.770 5.110	6.996 4.391	7.111 7.065	6.312 6.308	7.512 7.512	6.968 6.968	6.340 6.340	78.736 57.864
12.	बजरंग पावर एण्ड स्टील बोरझरा उला रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	18.958 7.310	13.776 4.107	13.112 3.477	16.443 5.222	15.028 5.449	14.876 9.119	9.310 8.73	13.724 8.996	12.041 9.428	16.477 9.479	17.117 6.523	19.364 7.166	180.226 84.349
13.	मे. लाफार्ज इंडिया स्वेडा बलौदाबाजार रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.036 0.036	0.025 0.025	0.017 0.017	0.164 0.164	0.131 0.131	0.041 0.041	0.118 0.118	0.076 0.076	0.097 0.097	0.648 0.648	3.196 3.196	0.999 0.999	5.548 5.548
14.	मे. इस्पात गोदावरी प्रायवेट लिमिटेड सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	24.125 5.645	23.637 5.378	26.483 5.945	26.903 6.456	34.301 5.952	27.550 8.945	24.876 14.169	25.101 10.053	20.938 10.308	27.560 9.474	32.859 12.518	34.044 12.141	328.377 106.984
15.	मे. ग्रासिम सीमेन्ट खान, ग्रासिम विहार रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	16.999 16.999	15.192 15.192	16.316 16.316	14.009 14.009	15.988 15.988	12.649 12.649	9.908 9.908	15.380 15.380	15.177 15.177	15.794 15.794	14.584 14.584	16.158 16.158	178.154 178.154

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
16.	मे. लाफार्ज इंडिया गोपालनगर चांपा.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.038 0.038	0.029 0.029	0.133 0.133	0.564 0.564	0.972 0.972	0.101 0.101	0.175 0.175	1.593 1.593	1.499 1.499	1.344 1.344	3.144 3.144	0.462 0.462	10.054 10.054
17.	मे. जायसवाल निको लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.322 8.252	8.385 6.653	9.032 7.384	9.025 8.022	8.089 7.522	9.004 8.289	8.867 6.454	14.615 13.072	14.291 12.478	15.382 14.663	15.418 13.919	15.923 14.546	136.353 121.254
18.	मे. इंड सायनर्जी कोटमार रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	9.245 5.634	8.977 5.110	11.031 6.375	9.639 5.489	8.259 4.661	11.152 7.390	6.370 3.619	4.859 2.921	9.468 5.732	7.125 4.653	4.428 3.253	6.102 4.119	96.655 58.956
19.	मे. नालवा स्पंज आयनर लिमिटेड तराईमाल रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	16.008 15.969	13.600 13.564	12.913 12.875	10.801 10.747	11.726 11.664	11.518 11.454	10.962 10.912	12.213 12.159	14.510 14.459	15.686 15.641	15.450 15.409	15.811 15.771	161.198 160.624
20.	मे. भिलाई स्टील प्लान्ट भिलाई.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	34.981 34.981	38.055 38.055	34.019 34.019	32.832 32.832	27.632 27.632	29.872 29.872	22.202 22.202	24.512 24.512	22.861 22.861	22.136 22.136	21.393 21.393	20.374 20.374	330.869 330.869
21.	मे. एन. टी. पी. सी. सेल पावर कंपनी भिलाई, जिला दुर्ग.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	54.432 54.432	41.341 41.341	55.096 55.096	43.918 43.918	49.950 49.950	30.714 30.714	48.274 48.274	50.389 50.389	51.595 51.595	54.412 54.412	53.486 53.486	55.993 55.993	589.600 589.600
22.	मे. जय बालाजी इंड, लिमिटेड बोरई रसमड़ा जिला दुर्ग.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	6.132 5.888	5.616 5.166	6.283 5.712	6.893 5.650	6.939 5.940	6.455 5.535	7.000 5.573	4.449 3.354	4.448 3.873	6.689 5.259	6.013 4.185	7.083 1.616	74.000 57.751
23.	मे. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित रम्हैपुर कबीरधाम.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.769 0.769	0.223 0.223	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.204 0.204	1.196 1.196
24.	मे. यूनिकर्थ इंडिया सरौरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.000 0.000	0.000 0.000	0.004 0.004	0.018 0.018	0.029 0.029	0.137 0.137	0.049 0.049	0.064 0.064	0.015 0.015	0.029 0.029	0.070 0.070	0.044 0.044	0.459 0.459

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25.	मे. वंदना ग्लोबल सिलतारा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	22.159 8.554	19.780 12.200	26.597 6.677	28.219 4.039	22.426 4.433	24.818 3.488	21.013 3.466	27.343 5.988	21.940 6.658	25.933 3.737	23.745 3.428	24.406 3.458	288.379 66.126
26.	मे. नाकोडा इस्पात लि. रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	3.430 1.704	3.135 1.250	11.192 2.071	7.657 1.343	5.880 1.313	7.592 1.227	8.979 1.353	4.906 0.958	9.808 1.708	10.766 1.660	9.696 1.704	7.937 1.211	90.978 17.502
27.	मे. मध्यभात पेपर मिल बिराहनी जांजगीर-चांपा.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	1.235 1.202	1.288 1.259	0.926 0.908	1.163 1.160	1.557 1.524	1.780 1.744	1.649 1.615	1.151 1.117	1.674 1.640	1.562 1.526	1.730 1.696	1.690 1.656	17.405 17.047
28.	मे. हीरा पावर एण्ड स्टील लि. उल्ला रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	4.270 4.270	8.741 8.741	8.574 8.574	7.224 7.224	11.054 11.054	9.061 5.412	11.784 7.993	11.618 8.851	10.715 8.612	13.950 5.175	12.511 0.966	15.173 1.103	124.675 77.975
29.	मे. रियल इस्पात प्रा. लि. बोझारा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	10.041 1.448	8.539 1.236	8.975 1.302	9.450 1.428	8.955 1.389	9.424 1.517	7.065 1.101	8.584 1.400	8.568 1.149	10.193 1.539	8.797 1.358	10.186 1.613	108.777 16.480
30.	मे. आलोक फेरा एलायस बेन्ट्री रोड उल्ला रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	2.333 0.288	3.121 0.377	4.322 0.450	2.530 0.423	6.100 0.831	3.965 0.825	6.086 0.796	28.457 3.990
31.	मे. अरसमेटा केप्टिव पावर प्लान्ट गोपाल-नगर जांजगीर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	31.689 27.782	26.309 20.815	31.049 26.833	29.684 26.917	29.165 26.269	26.752 24.853	21.927 19.774	26.819 24.831	26.527 23.881	28.076 26.143	23.672 22.007	30.153 27.996	331.822 298.101
32.	मे. एस. के. इस्पात सिलतारा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	23.910 13.470	22.590 12.717	25.853 14.165	27.971 16.318	25.009 10.599	16.457 4.157	17.614 8.969	22.971 9.921	25.355 13.219	27.615 12.849	27.984 16.440	24.545 14.968	287.874 147.792
33.	मे. सिंघल इंटर-प्रायजेस प्रा. लि. रायगाढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	10.569 5.241	9.796 4.806	10.578 4.868	11.456 5.801	9.669 5.455	10.604 5.419	10.636 5.533	10.326 5.107	11.062 5.858	10.266 5.061	11.520 5.909	11.903 6.645	128.385 65.703

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
34.	मे. नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा. लि. सराईपाली घरघोड़ा रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	1.022 1.015	0.079 0.070	0.490 0.476	0.505 0.483	0.373 0.242	1.271 1.246	0.974 0.909	0.421 0.410	0.594 0.570	1.213 1.179	0.136 0.126	0.376 0.365	7.454 7.091
35.	मे. केस्ट स्टील एण्ड पावर जोरातराई राजनांदगांव.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	7.920 6.121	7.421 5.747	6.146 4.687	7.801 6.154	7.686 6.179	7.550 5.965	7.384 5.789	7.850 5.738	7.888 5.729	5.362 4.039	6.383 4.351	8.396 6.375	87.787 66.874
36.	मे. इंड पावर लि. कोटमार रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.947 5.947	4.887 4.887	2.184 2.184	5.361 5.361	5.096 5.096	3.811 3.811	4.015 4.015	4.229 4.229	2.575 2.575	4.412 4.412	5.270 5.270	5.290 5.290	53.077 53.077
37.	मे. महेंद्रा स्पंज एण्ड पावर टेक प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.220 3.792	4.024 2.905	4.771 1.821	5.347 0.997	4.210 1.317	5.774 2.694	5.239 2.377	4.647 0.993	4.318 1.633	5.091 1.078	4.562 0.830	4.879 0.974	58.082 21.411
38.	मे. जी. आर. स्पंज एण्ड पावर प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	4.821 2.039	4.400 1.811	3.526 1.808	4.494 2.483	4.429 2.696	3.990 2.459	2.852 1.628	4.568 2.620	4.549 2.554	3.830 2.155	4.616 2.340	4.994 2.603	51.069 27.196
39.	मे. ए. पी. आई. पावरटेक प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	9.454 4.770	8.225 4.091	8.872 4.368	8.570 4.408	7.658 4.164	8.227 4.452	6.409 3.706	8.672 4.600	6.534 3.462	6.334 3.641	9.215 4.413	9.314 4.864	97.484 50.939
40.	मे. एम. एस. पी. स्पंज आयरन प्रा. लि. मनुवापाली रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	7.298 7.298	6.962 6.962	7.191 7.191	4.968 4.968	7.941 7.941	7.933 7.933	7.343 7.343	7.836 7.836	8.218 8.218	6.071 6.071	7.577 7.577	7.674 7.674	87.012 87.012
41.	मे. वासवानी इंडस्ट्रीज सोण्डा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.161 4.145	4.774 3.882	3.884 3.218	4.912 1.004	4.772 1.164	4.468 0.991	4.688 0.966	5.330 1.126	4.422 0.904	4.730 0.933	5.002 1.040	4.986 1.103	57.129 20.476

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
42.	मे. रश्मि स्पंज एण्ड आयन प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	3.296 1.814	3.783 2.223	3.662 1.346	4.519 0.647	4.012 0.761	3.550 1.532	2.437 0.939	5.074 1.068	3.906 1.054	4.643 0.832	4.369 0.622	4.886 0.803	48.137 13.641
43.	मे. टापवर्थ स्टील प्रा. लि. बौरई समड़ा दुर्ग. उजलपुर रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	10.711 9.555	11.732 10.385	13.220 11.155	13.536 10.881	9.698 9.158	11.513 10.438	10.398 9.272	13.207 11.439	12.603 11.652	14.670 12.233	14.049 11.248	13.979 11.762	149.316 129.178
44.	मे. अंजनी स्टील प्रायवेट लि. उजलपुर रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	7.367 6.537	8.129 7.173	6.787 5.792	8.304 7.122	8.570 7.010	7.900 6.946	8.323 8.045	8.098 7.851	8.475 8.031	8.728 8.443	4.128 3.987	8.254 8.053	93.063 84.990
45.	मे. ओरियन पेपर इंड. लि. टेका बिलासपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	1.330 1.330	0.830 0.830	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	2.160 2.160
46.	मे. बजरंग मेटल्लिक्स एण्ड पावर लि. गोंदवारा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.487 7.654	9.824 8.076	9.914 8.167	9.905 8.357	7.467 6.441	10.397 9.101	9.401 8.114	8.906 7.772	10.278 8.942	9.138 7.884	9.561 7.674	8.985 7.395	112.263 95.577

प्रपत्र "ब"

**राज्य में स्थापित केप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा वर्ष 2010 में माहवार उत्पादित बिजली एवं स्वयं के उद्योगों में
बिजली उपयोग का विवरण
वर्ष 2010**

(मिलियन यूनिट में)

क्र.	केप्टिव विद्युत संयंत्र का नाम व पता		1/2010	2/2010	3/2010	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मे. बाल्को कोरबा	वि. उत्पादन	526.190	472.799	527.449	1526.438
		स्वयं की खपत	373.843	337.002	374.065	1084.910
2.	मे. जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड रायगढ़.	वि. उत्पादन	206.970	208.530	248.785	664.285
		स्वयं की खपत	120.680	130.910	172.420	424.010
3.	मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा	वि. उत्पादन	23.045	22.115	22.975	68.135
		स्वयं की खपत	23.020	22.090	22.939	68.049
4.	मे. सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन	35.378	31.375	37.014	103.767
		स्वयं की खपत	27.431	23.911	31.130	82.472
5.	मे. मोनेट इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड मंदिर हसौद रायपुर.	वि. उत्पादन	39.848	34.894	41.431	116.173
		स्वयं की खपत	16.568	15.053	13.766	45.387
6.	मे. सेन्चुरी सीमेन्ट बैकुंठ रायपुर	वि. उत्पादन	16.090	13.304	14.825	44.219
		स्वयं की खपत	16.090	13.304	14.825	44.219
7.	मे. ए. सी. सी. जामुल दुर्ग	वि. उत्पादन	16.126	11.599	16.081	43.806
		स्वयं की खपत	14.771	10.807	13.838	39.416
8.	मे. अंबुजा सीमेन्ट रवान बलौदा बाजार रायपुर.	वि. उत्पादन	22.376	26.389	24.255	73.020
		स्वयं की खपत	22.195	26.226	24.078	72.499
9.	मे. अल्ट्राटेक सीमेन्ट हिरमी रायपुर.	वि. उत्पादन	24.651	24.346	27.751	76.748
		स्वयं की खपत	22.880	22.265	25.019	70.164
10.	मे. एम. एस. पी. स्टील एण्ड पावर जामगांव रायगढ़.	वि. उत्पादन	14.267	11.991	13.723	39.981
		स्वयं की खपत	14.043	9.503	11.447	34.993
11.	मे. इंडसील एनर्जी एण्ड इलेक्ट्रो केमिकल्स उरला रायपुर.	वि. उत्पादन	6.922	5.583	7.644	20.149
		स्वयं की खपत	6.922	5.583	7.411	19.916
12.	मे. बजरंग पावर एण्ड स्टील बोरझरा उरला रायपुर.	वि. उत्पादन	15.043	15.048	15.081	45.172
		स्वयं की खपत	8.917	7.943	6.383	23.243
13.	मे. लाफार्ज इंडिया रसेड़ा बलौदाबाजार रायपुर.	वि. उत्पादन	3.311	0.001	0	3.312
		स्वयं की खपत	3.311	0.001	0	3.312
14.	मे. इस्पात गोदावरी प्रायवेट लिमिटेड सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन	28.348	25.961	33.942	88.251
		स्वयं की खपत	16.917	16.448	18.357	51.722

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	मे. ग्रासिम सीमेन्ट, खान, ग्रासिम विहार रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	16.195 16.195	12.556 12.556	16.093 16.093	44.844 44.844
16.	मे. लाफार्ज इंडिया, गोपालनगर चांपा	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.406 0.406	0.456 0.456	1.834 1.834	2.696 2.696
17.	मे. जायसवाल निको लि. सिलतरा रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	15.839 14.408	11.767 9.563	13.612 12.515	41.218 36.486
18.	मे. इंड सायनर्जी, कोटमार रायगढ़	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	7.906 5.017	7.138 4.229	8.264 4.824	23.308 14.070
19.	मे. नालवा स्पंज आयरन लिमिटेड तराईमाल रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	14.371 14.331	14.250 14.213	17.432 17.401	46.053 45.945
20.	मे. भिलाई स्टील प्लान्ट भिलाई	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	20.530 20.530	7.940 7.940	15.720 15.720	44.190 44.190
21.	मे. एन. टी. पी. सी. सेल पावर कंपनी भिलाई, जिला दुर्ग.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	56.024 56.024	50.177 50.177	55.631 55.631	161.832 161.832
22.	मे. जयबालाजी इंड. लिमिटेड बोर्ई रसमड़ा जिला दुर्ग.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	6.601 1.579	5.596 1.309	6.007 1.498	18.204 4.386
23.	मे. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित रम्हेपुर कबीरधाम.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	1.353 1.353	0.427 0.427	0.000 0.000	1.780 1.780
24.	मे. यूनिवर्थ इंडिया, सरोरा रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.029 0.029	0.032 0.032	0.014 0.014	0.075 0.075
25.	मे. वंदना ग्लोबल सिलतरा रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	20.992 6.928	25.567 7.986	28.579 8.703	75.138 23.617
26.	मे. नाकोड़ा इस्पात लि. रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.711 1.570	7.957 1.840	11.191 2.339	27.859 5.749
27.	मे. मध्यभारत पेपर मिल बिरगहनी जांजगीर चांपा	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	1.823 1.788	1.582 1.550	1.115 1.089	4.520 4.427
28.	मे. हीरा पावर एण्ड स्टील लि. उरला रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	11.486 11.129	10.769 9.531	14.859 13.019	37.114 33.679
29.	मे. रियल इस्पात प्रा. लि. बोरझरा रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	10.032 1.526	8.034 1.285	9.527 1.630	27.593 4.441
30.	मे. आलोक फेरा एलायस बेन्द्री रोड उरला रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	3.172 0.438	4.973 0.681	5.892 0.791	14.037 1.910

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	मे. अरसमेटा केप्टिव पावर प्लान्ट गोपालनगर जांजगीर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	29.012 25.679	26.011 21.688	20.412 12.926	75.435 60.293
32.	मे. एस. के. इस्पात सिलतरा रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	25.879 10.985	30.730 17.386	37.745 17.126	94.354 45.497
33.	मे. सिंघल इंटरप्रायजेस प्रा. लि. रायगढ़	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	11.907 8.468	10.751 6.604	11.904 7.013	34.562 22.085
34.	मे. नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा. लि. सराईपाली घरघोड़ा रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	1.515 0.051	0.875 0.730	1.165 0.070	3.555 0.851
35.	मे. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर जोरातराई राजनांदागांव.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.713 6.993	7.931 6.269	7.253 5.794	23.897 19.056
36.	मे. इंड पावर लि. कोटमार रायगढ़	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.416 3.205	4.647 2.816	4.565 2.673	14.628 8.694
37.	मे. महेन्द्रा स्पंज एण्ड पावर टेक प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.214 1.526	4.918 1.547	4.427 1.056	14.559 4.129
38.	मे. जी. आर. स्पंज एण्ड पावर प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.208 2.556	4.592 2.838	2.561 1.525	12.361 6.919
39.	मे. ए. पी. आई. पावरटेक प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.889 4.733	8.766 4.546	8.153 4.512	25.808 13.791
40.	मे. एम. एस. पी. स्पंज आयरन प्रा. लि. मनुवापाली रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.066 8.066	7.822 7.822	8.393 8.393	24.281 24.281
41.	मे. वासवानी इंडस्ट्रीज सोण्डा रायपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	5.335 1.141	4.785 2.224	4.921 1.910	15.041 5.275
42.	मे. रश्मि स्पंज एण्ड आयरन प्रा. लि. सिलतरा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	4.871 0.979	4.410 0.905	5.141 1.029	14.422 2.913
43.	मे. टापवर्थ स्टील प्रा. लि. बोरई रसमड़ा दुर्ग.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	14.964 13.388	13.191 12.169	14.596 13.606	42.751 39.163
44.	मे. अंजनी स्टील प्रायवेट लि. उजलपुर रायगढ़.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	8.951 8.753	6.549 5.713	8.783 8.606	24.283 23.072
45.	मे. ओरियन पेपर इंड. लि. टेका बिलासपुर	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
46.	मे. बजरंग मेटलक्स एण्ड पावर लि. गोंदवारा रायपुर.	वि. उत्पादन स्वयं की खपत	11.892 9.903	9.960 8.384	10.544 9.136	32.396 27.423

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 82) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 की स्वीकृत योजना एवं उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी

क्र.	विकासखंड	ग्राम का नाम	योजना स्वीकृति वर्ष	योजना की अद्यतन स्थिति		रिमार्क
				पूर्ण योजना	प्रगतिरत योजना [योजना के जिस अवयव के कार्य पूर्ण नहीं होने अथवा प्रारंभ नहीं होने के कारण योजना अधूरी/अपूर्ण (प्रगतिरत) है की जानकारी]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जैजैपुर	रायपुरा	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
2.	जैजैपुर	काशीगढ़	2007-08	-	योजना में राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
3.	जैजैपुर	आमगांव	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
4.	जैजैपुर	घिवरा	2007-08	-	योजना में टंकी का कार्य शेष है	जल प्रदाय प्रारंभ
5.	जैजैपुर	चिस्ता	2007-08	-	योजना में राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
6.	जैजैपुर	कचंदा	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
7.	जैजैपुर	सेंदुरस	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
8.	जैजैपुर	सलनी	2007-08	पूर्ण योजना	-	जल प्रदाय प्रारंभ
9.	जैजैपुर	बेलादुला	2007-08	-	योजना में टंकी, हाफ स्टेजिंग तक पूर्ण राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
10.	जैजैपुर	हरेठीकला	2007-08	-	योजना में पंप हाउस का कार्य शेष है	जल प्रदाय प्रारंभ
11.	जैजैपुर	किकिरदा	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
12.	जैजैपुर	कैथा	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
13.	जैजैपुर	करही	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	जैजैपुर	खम्हरिया	2008-09	-	योजना में टंकी एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
15.	जैजैपुर	परसाडीह	2008-09	-	योजना में टंकी का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ
16.	जैजैपुर	नंदेली	2008-09	-	योजना में राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
17.	जैजैपुर	ठठारी	2008-09	-	योजना में टंकी एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
18.	जैजैपुर	दूंठी	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
19.	जैजैपुर	चिखलरौंदा	2008-09	-	योजना में टंकी एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
20.	जैजैपुर	सिरली	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
21.	जैजैपुर	जैजैपुर	2008-09	पूर्ण योजना	-	जल प्रदाय प्रारंभ
22.	जैजैपुर	अमोदा	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
23.	जैजैपुर	खजुरानी	2008-09	-	योजना में टंकी का कार्य शेष है	जल प्रदाय प्रारंभ
24.	जैजैपुर	कोटेतरा	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
25.	बम्हनीडीह	करनौद	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
26.	बम्हनीडीह	सिलादेही	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
27.	बम्हनीडीह	लखाली	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
28.	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	2008-09	पूर्ण योजना	-	जल प्रदाय प्रारंभ
29.	बम्हनीडीह	पोंडीशंकर	2008-09	पूर्ण योजना	-	जल प्रदाय प्रारंभ
30.	मालखरौदा	छपोरा	2007-08	पूर्ण योजना	-	जल प्रदाय प्रारंभ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	मालखरौदा	पिहरीद	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
32.	मालखरौदा	मिरौनी	2007-08	-	योजना में राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
33.	मालखरौदा	बड़ेसीपत	2007-08	-	योजना में राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
34.	मालखरौदा	मरघट्टी	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
35.	मालखरौदा	नरियरा	2007-08	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
36.	मालखरौदा	बड़े रवेली	2008-09	-	योजना में टंकी, स्टेजिंग तक पूर्ण राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
37.	मालखरौदा	कुरदा	2008-09	-	योजना में टंकी स्टेजिंग तक पूर्ण	जल प्रदाय प्रारंभ
38.	मालखरौदा	पिरदा	2008-09	-	योजना में टंकी स्टेजिंग तक पूर्ण	जल प्रदाय प्रारंभ
39.	मालखरौदा	अमलीडीह	2008-09	-	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ

टीप :- सरल क्रमांक 21 का ग्राम वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र है.

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 37) के भाग (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में कृषक जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	कृषक जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	खरसिया	241
2.	धरमजयगढ़	365
3.	रायगढ़	438
4.	घरघोड़ा	42
5.	तमनार	72
6.	पुसौर	371
7.	बरमकेला	1399
8.	सारंगढ़	163
9.	लैलूंगा	27
योग		3118

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 113) के भाग (क) की जानकारी]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 381-2417-एक(3)-74,

भोपाल, दिनांक 11 जून, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- स्थानीय निवासियों की परिभाषा का निर्धारण.

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों की परिभाषा निर्धारण करने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन था. इस संबंध में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त मध्यप्रदेश के निवासी की निम्नलिखित परिभाषा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी उसी व्यक्ति को माना जायेगा यदि :-

- (1) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो,
- (2) (क) वह, अथवा
(ख) उसके पालकों में से कोई, अथवा
(ग) उसके पालकों में से कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन)
मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो,
अथवा
- (3) उसके पालकों में से कोई भी :-
(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, अथवा
(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत हो, अथवा
- (4) (क) वह स्वयं, अथवा
(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हो, परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त :-
- (अ) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,
अथवा
- (ब) उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षा संस्था में निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :-

- (1) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा,

- (2) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा,
- (3) अन्य मामलों में 4 थी कक्षा की परीक्षा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
बल्देव सिंह
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 382-2417-एक(3)-74,

भोपाल, दिनांक 11 जून, 1975

प्रतिलिपि :-

- (1) निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
-
- (2) राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
-
- (3) अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय भोपाल,
-
- (4) मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप मंत्रीगण के निजी सचिव/निजी सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
के. फ. श्रीवास्तव,
अवर सचिव.

परिशिष्ट “बारह”
[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 11) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में संचालित नल जल योजनाओं की जानकारी

क्र.	गांव का नाम	विकासखण्ड	गांव में योजना का संचालन कब से हो रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोटमीसोनार	अकलतरा	02/1980
2.	हरदी	अकलतरा	04/1983
3.	अमोरा (आवर्धन)	अकलतरा	07/2010
4.	परसदा (आवर्धन)	अकलतरा	07/2010
5.	सोनसरी	अकलतरा	07/2006
6.	तिलई	अकलतरा	11/2002
7.	तागा	अकलतरा	03/2007
8.	किरारी	अकलतरा	08/2004
9.	पोंडीदल्हा	अकलतरा	02/2001
10.	नरियरा	अकलतरा	06/2005
11.	कापन	अकलतरा	03/2009
12.	झलमला	अकलतरा	03/2004
13.	खिसोरा	अकलतरा	06/2010
14.	पौना	अकलतरा	03/2004
15.	जावलपुर	बलौदा	07/1986
16.	जर्वे (ब)	बलौदा	02/2003
17.	खिसोरा	बलौदा	06/1986
18.	पंतोरा	बलौदा	05/1985
19.	चारपारा	बलौदा	03/2008

टीप :- परिशिष्ट “अ” के सरल क्रमांक 14 के ग्राम पौना की योजना पंचायत द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण वर्ष 2005-06 से बंद है.

प्रपत्र “ब”

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 30-06-2010 की स्थिति में निर्माणाधीन नल जल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	गांव का नाम	योजना स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना के किस अवयव के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण योजना अपूर्ण है की जानकारी	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अकलतरा	बरगांवा	16-03-06	24.85	योजना में राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
2.	अकलतरा	आरसमेटा	16-03-06	22.42	योजना में आंशिक रूप से राईजिंग मेन का कार्य एवं टेस्टिंग का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
3.	अकलतरा	रसेड़ा	01-09-07	24.94	टेस्टिंग का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
4.	अकलतरा	पकरिया (झू)	01-10-08	18.23	योजना में टंकी स्टेजिंग तक पूर्ण, राईजिंग मेन एवं 01 पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
5.	अकलतरा	कोटगढ़	22-09-08	24.99	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
6.	अकलतरा	सांकर	24-05-08	24.99	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं 01 पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय प्रारंभ
7.	अकलतरा	चंगोरी	22-09-08	24.97	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
8.	अकलतरा	कटघरी	27-09-08	24.98	योजना में टंकी, 01 पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
9.	अकलतरा	हरदी (आवर्धन)	29-08-08	24.70	जल वितरण प्रणाली, राईजिंग मेन टंकी एवं पंप हाउस	जल प्रदाय प्रारंभ
10.	अकलतरा	तरौद (स्वजलधारा योजना अन्तर्गत)	13-06-03	23.66	रोड क्रॉसिंग के कारण राईजिंग मेन का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
11.	बलौदा	औराईकला	01-05-08	24.97	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है.	जल प्रदाय अप्रारंभ
12.	बलौदा	बुडगहन	17-09-08	24.99	पंप हाउस का कार्य शेष	जल प्रदाय अप्रारंभ

परिशिष्ट “तेरह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 77) के भाग (ख) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
आदेश

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई, 2010

क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3 : डॉ. डी. एन. तिवारी, एक सदस्यीय वेतन विसंगति समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु गठित अधिकारिक स्तरीय समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा छठवें वेतनमान में परिलक्षित होने वाली वेतन विसंगतियों एवं डॉ. डी. एन. तिवारी समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का छठवें वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने निम्नानुसार समिति गठित करता है :-

1.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त एवं महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी.	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग.	सदस्य
3.	सचिव, वित्त विभाग.	सदस्य
4.	सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	सदस्य
5.	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य सचिव

आदेशानुसार
हस्ता./-
(एल. डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 10-1/2009/1-3

रायपुर, दिनांक 08 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त एवं महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी, रायपुर.
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर
3. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं वि. विभाग, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
7. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, रायपुर
8. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

सही/-
(एल. डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट “चौदह”
[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 94) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

अनुमानित आयोजना

					राशि रुपये हजार में
2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
38378393	46635641	66464089	86590031	107336770	120902555

प्रपत्र "ब"

		राशि रुपये हजार में														
		आयोजना				2006-07				2007-08				2008-09		
		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10				
सं.	विभाग	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	% व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
		वास्तविक		वास्तविक		वास्तविक		वास्तविक		वास्तविक		वास्तविक				
		अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	व्यय	% व्यय	अनुमान	% व्यय	
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	0.00	0	0	0.00	5000	3110	62.20	6200	350	5.65	23088	4389	19.01
2.	गृह विभाग	18868	10908	57.81	19801	12814	64.71	208143	159963	76.85	364044	302735	83.16	305277	228979	75.01
3.	जेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	वित्त विभाग	771714	425303	55.11	235000	85719	36.48	50899	14575	28.64	53711	1960	3.65	13815	3619	26.20
5.	वाणिज्यिक क. विभाग.	10000	0	0.00	40000	0	0.00	38400	38212	99.51	5000	0	0.00	0	0	0.00
6.	धार्मिक न्यास और	4800	900	18.75	4850	2750	56.70	29850	25770	86.33	29850	25500	85.43	28500	24750	86.84
7.	राजस्व विभाग	73576	10831	14.72	87934	7089	8.06	153624	74012	48.18	219342	143350	65.35	188746	66107	35.02
8.	परिवहन विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	खेल एवं युवक कल्याण विभाग.	232200	16464	7.09	143300	134312	93.73	197000	190029	96.46	200000	195249	97.62	271100	264179	97.45
10.	वन विभाग	828214	747803	90.29	806400	786822	97.57	1463008	1260995	86.19	1739268	1620242	93.16	2584439	2316796	89.64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग.	237988	86486	36.34	815340	729745	89.50	931727	863554	92.68	1361155	1248393	91.72	1308442	909284	69.49
12.	खनिज साधन विभाग.	52306	33206	63.48	45100	40000	88.69	111227	99225	89.21	426550	408702	95.82	430600	392700	91.20
13.	ऊर्जा विभाग	1334822	1184788	88.76	3023799	2732650	90.37	567730	482881	85.05	1113283	928448	83.40	535475	495455	92.53
14.	कृषि विभाग	996274	867289	87.05	1492510	1216862	81.53	1527145	961419	62.96	2347504	1299218	55.34	3533776	2545492	72.03
15.	सहकारिता विभाग.	559619	235971	42.17	645388	289388	44.84	792055	630126	79.56	1091588	826069	75.68	2158244	1552340	71.93
16.	श्रम विभाग	22848	9932	43.47	50219	5058	10.07	47074	4228	8.98	52598	28649	54.47	69195	11015	15.92
17.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	1693637	1133706	66.94	1417969	917697	64.72	2250866	1567476	69.64	2598944	1919127	73.84	3485997	2714470	77.87
18.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	387125	311517	80.47	643200	505460	78.59	3541356	2339689	66.07	4691615	1978255	42.17	6135211	2308438	37.63
19.	लोक निर्माण विभाग.	4968958	3719710	74.86	5511663	5228215	94.86	9802730	8455997	86.26	15353766	13438514	87.53	14082203	12510474	88.84
20.	स्कूल शिक्षा विभाग.	2545768	1708708	67.12	3789888	2836268	74.84	4577585	3518172	76.86	6740487	5677984	84.24	10031564	9309638	92.80
21.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग.	19594	9627	49.13	117505	115382	98.19	165688	155030	93.57	236118	226787	96.05	233885	187270	80.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	4669122	2900987	62.13	4376642	2812935	64.27	6141806	5130223	83.53	9162153	7159936	78.15	10459322	7270160	69.51
23.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	272546	237593	87.18	464820	205979	44.31	556446	539458	96.95	553829	543844	98.20	577202	532367	92.23
24.	जन संपर्क विभाग	6000	6000	100.00	6000	1324	22.07	6000	5200	86.67	6000	5968	99.47	6000	6000	100.00
25.	आदिमजाति कल्याण विभाग.	4809713	4010793	83.39	6899666	4619755	66.96	6593218	6046869	91.71	8488114	7619471	89.77	10408021	9073521	87.18
26.	समाज कल्याण विभाग.	55977	53458	95.50	423028	49967	11.81	534504	500121	93.57	1174270	1086063	92.49	1325097	1260349	95.11
28.	पुनर्वास विभाग	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
29.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग.	523729	489919	93.54	980504	630915	64.35	2473868	2385508	96.43	5594624	5582302	99.78	13312829	13204226	99.18
30.	संस्कृति विभाग	60618	30766	50.75	37819	25424	67.23	95524	80037	83.79	107835	82126	76.16	146923	128281	87.31
31.	जल संसाधन विभाग.	6941860	4875138	70.23	6657527	5675941	85.26	7615215	6749898	88.64	8031764	7564378	94.18	8618552	8544435	99.14
32.	आवास और पर्यावरण विभाग.	550660	271819	49.36	581740	326224	56.08	6130946	5877329	95.86	1986106	1818292	91.55	2152485	1088396	50.56
33.	पर्यटन विभाग	173700	84037	48.38	184700	160559	86.93	293000	271500	92.66	661500	533000	80.57	460000	369270	80.28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
34.	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग.	1916649	1356500	70.77	2126345	1576410	74.14	3308367	2787223	84.25	4325792	3713185	85.84	5091319	4468081	87.76
35.	फ्युपालन विभाग	530827	171461	32.30	569085	328478	57.72	807605	664248	82.25	795462	541455	68.07	1011188	548351	54.23
36.	मछली पालन विभाग	38079	31835	83.60	60008	55754	92.91	75210	68231	90.72	115094	66180	57.50	200515	138002	68.82
38.	उच्च शिक्षा विभाग	505645	390731	77.27	910997	806056	88.48	817934	646282	79.01	764024	513868	67.26	675280	364016	53.91
40.	आयकट विभाग	186445	14654	7.86	118005	104556	88.60	43914	39496	89.94	419748	368241	87.73	421840	406733	96.42
41.	विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग.	20303	4236	20.86	32100	31400	97.82	74100	72438	97.76	69500	64982	93.50	81300	64908	79.84
42.	जन शक्ति नियोजन विभाग.	254895	122211	47.95	316617	236957	74.84	548904	310041	56.48	805608	487578	60.52	1031055	418357	40.58
43.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग.	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	245700	132600	53.97	300330	139400	46.42
45.	विमानन विभाग	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
48.	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	महिला एवं बाल विकास विभाग.	1688466	1301759	77.10	2391056	1994767	83.43	2988820	1753423	58.67	3569047	2816545	78.92	4369430	3710886	84.93
52.	ग्रामोद्योग विभाग	225418	115699	51.33	180180	141256	78.40	302249	267899	88.64	231035	183890	79.59	228015	181574	79.63
53.	चिकित्सा शिक्षा विभाग.	189430	91654	48.38	428936	265312	61.85	595352	413166	69.40	851803	489091	57.42	1040510	641008	61.61

परिशिष्ट “पंद्रह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 7) के भाग (ख) की जानकारी]

1. दिनांक 31-05-2010 को श्री श्यामसुंदर लोहिया गोदाम बसंतपुर में जब्त उर्वरक डी. ए. पी. के संबंध में निर्माता कंपनी-कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह परमार, गोदाम मालिक श्री श्यामसुंदर लोहिया एवं मधु ट्रांसपोर्ट के श्री वेणुगोपाल के विरुद्ध पुलिस थाना बसंतपुर, राजनांदगांव में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु एफ. आई. आर. क्रमांक 134/10 दिनांक 04-06-2010 दर्ज कराई गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.
2. दिनांक 02-06-10 को श्री सुरेश कुमार अग्रवाल गोदाम पार्रीनाला में जब्त उर्वरक डी. ए. पी. के संबंध में निर्माता कंपनी-कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह परमार, गोदाम मालिक श्री सुरेश अग्रवाल एवं जैन ट्रांसपोर्ट के श्री सुभाष जैन के विरुद्ध पुलिस थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु एफ. आई. आर. क्रमांक 271/10 दिनांक 04-06-2010 दर्ज कराई गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.
3. दिनांक 05-06-10 को श्री छगनलाल गजरा गोदाम लखोली में जब्त उर्वरक एम. ओ. पी. के संबंध में निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमि. के प्रतिनिधि श्री एस. के. ठाकुर, गोदाम मालिक श्री छगनलाल गजरा एवं मधु ट्रांसपोर्ट के श्री वेणुगोपाल के विरुद्ध पुलिस थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु एफ. आई. आर. क्रमांक 282/10 दिनांक 08-06-2010 दर्ज कराई गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.

उक्त प्रकरण में जब्त उर्वरक को न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा क. 15, 16, 17-सी/150 दिनांक 15-06-2010 द्वारा आदेश पारित कर, जब्त उर्वरक जिला विपणन अधिकारी, राजनांदगांव को डबल लॉक केन्द्र से सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को वितरित कर राशि न्यायालय में जमा करने के आदेश दिये हैं.

परिवहन संबंधी प्रकरण में ट्रक क्रमांक-एम. एच.-19Z-3258 एवं एम. एच.-19Z-2385 थाना प्रभारी चिचोला के अभिरक्षा में दिया जाकर परिवहन जांच चौकी, पाटेकोहरा को उक्त ट्रक के पास जारी नहीं करने बाबत लिखा गया था. परिवहन जांच चौकी कर्मचारियों द्वारा अनियमितता करने के फलस्वरूप 3 कर्मचारियों 1. श्री हिमांशु गुप्ता, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, 2. श्री कन्हैयालाल दास, उप निरीक्षक परिवहन, 3. श्री नटवर साय, आरक्षक परिवहन जांच चौकी पाटेकोहरा को निलंबित किया गया है.

उक्त सभी तीन प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा विवेचना जारी है.

परिशिष्ट “सोलह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 132) के भाग (ख) की जानकारी]

1. दिनांक 31-05-2010 को श्री श्यामसुंदर लोहिया गोदाम बसंतपुर में जब्त उर्वरक डी. ए. पी. के संबंध में निर्माता कंपनी-कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह परमार, गोदाम मालिक श्री श्यामसुंदर लोहिया एवं मधु ट्रांसपोर्ट के श्री वेणुगोपाल के विरुद्ध पुलिस थाना बसंतपुर, राजनांदगांव में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु एफ. आई. आर. क्रमांक 134/10 दिनांक 04-06-2010 दर्ज कराई गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.
2. दिनांक 02-06-10 को श्री सुरेश कुमार अग्रवाल गोदाम पार्रीनाला में जब्त उर्वरक डी. ए. पी. के संबंध में निर्माता कंपनी-कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह परमार, गोदाम मालिक श्री सुरेश अग्रवाल एवं जैन ट्रांसपोर्ट के श्री सुभाष जैन के विरुद्ध पुलिस थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु एफ. आई. आर. क्रमांक 271/10 दिनांक 04-06-2010 दर्ज कराई गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.
3. दिनांक 05-06-10 को श्री छगनलाल गजरा गोदाम लखोली में जब्त उर्वरक एम. ओ. पी. के संबंध में निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमि. के प्रतिनिधि श्री एस. के. ठाकुर, गोदाम मालिक श्री छगनलाल गजरा एवं मधु ट्रांसपोर्ट के श्री वेणुगोपाल के विरुद्ध पुलिस थाना सिटी कोतवाली, राजनांदगांव में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन हेतु एफ. आई. आर. क्रमांक 282/10 दिनांक 08-06-2010 दर्ज कराई गई है तथा न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (क) (1) के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है.

उक्त प्रकरण में जब्त उर्वरक को न्यायालय अपर कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा क. 15, 16, 17-सी/150 दिनांक 15-06-2010 द्वारा आदेश पारित कर, जब्त उर्वरक जिला विपणन अधिकारी, राजनांदगांव को डबल लॉक केन्द्र से सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को वितरित कर राशि न्यायालय में जमा करने के आदेश दिये हैं.

उक्त सभी तीन प्रकरणों में पुलिस विभाग द्वारा विवेचना जारी है.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 83) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला जांजगीर-चांपा में ग्राम सुराज अभियान 2010 अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन		
		मांग	शिकायत	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकलतरा	8110	285	8395
2.	जैजैपुर	7182	145	7327
3.	डभरा	8269	505	8774
4.	नवागढ़	3581	120	3701
5.	पामगढ़	5201	224	5425
6.	बम्हनीडीह	5145	105	5250
7.	बलौदा	3848	60	3908
8.	मालखरौदा	8336	393	8729
9.	सक्ती	9623	490	10113
कुल		59295	2327	61622

प्रपत्र "ब"

जिला जांजगीर-चांपा में ग्राम सुराज अभियान 2010 अंतर्गत निराकृत एवं लंबित आवेदनों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	निराकृत आवेदन			लंबित आवेदन		
		मांग (3)	शिकायत (4)	कुल (5)	मांग (6)	शिकायत (7)	कुल (8)
1.	अकलतरा	8054	281	8335	56	4	60
2.	जैजैपुर	7164	142	7306	18	3	21
3.	डभरा	8266	505	8771	3	0	3
4.	नवागढ़	3546	110	3656	35	10	45
5.	पामगढ़	5131	213	5344	70	11	81
6.	बम्हनीडीह	5129	105	5234	16	0	16
7.	बलौदा	3777	57	3834	71	3	74
8.	मालखरौदा	8326	389	8715	10	4	14
9.	सक्ती	9615	489	10104	8	1	9
कुल		59008	2291	61299	287	36	323

परिशिष्ट “अट्टारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 114) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	निविदा जारी क्र./दि.	कार्य का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभागों के नाम	लागत (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6251 Dt.11-02-10	मत्स्य बीज हेचरी निर्माण ग्राम कोष्टाबांधा वि. बोड़ला.	मत्स्य विभाग	20.00
2.	6446 Dt.19-02-10	बीज भवन मुख्यालय में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	बीज विकास निगम रायपुर	01.71
3.	7235 Dt.22-03-10	उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला रायगढ़ 200 मे. टन गोदाम 12 नग निर्माण.	सहकारिता	78.00 (@ Rs. 06.50 per Unit)
4.	42 Dt.01-04-10	उप संचालक, कृषि जिला कांकेर एवं कोरिया में 02-02 नग कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्माण.	कृषि विभाग रायपुर	28.00 (@ Rs. 07.00 per Unit)
5.	219 Dt.15-04-10	प्रदेश के विभिन्न जिलों में 32 स्थानों पर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण.	पशु चिकित्सा विभाग	800.00 (@ Rs. 25.00 per Unit)
	219 Dt.15-04-10	प्रदेश के विभिन्न जिलों में 70 स्थानों पर पशु औषधालय भवन निर्माण.	-- तदैव --	350.00 (@ Rs. 05.00 per Unit)
	219 Dt.15-04-10	जिला जशपुर अंतर्गत कुनकुरी में मुर्गीपालन प्रक्षेत्र निर्माण.	-- तदैव --	68.00
	219 Dt.15-04-10	जिला जशपुर अंतर्गत कुनकुरी में सुअर पालन प्रक्षेत्र निर्माण.	-- तदैव --	117.60
	219 Dt.15-04-10	उप संचालक, कृषि जिला रायपुर 07 स्थानों पर एवं महासमुंद 03 कुल 10 स्थानों पर कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्माण.	कृषि विभाग रायपुर	70.00 (@ Rs. 07.00 per Unit)
	219 Dt.15-04-10	चायनीज मत्स्य हेचरी ग्राम बेलटूकरी जिला- महासमुंद निर्माण.	मत्स्य पालन विभाग	28.30
	219 Dt.15-04-10	कृषि अभियांत्रिकीय महासमुंद एवं धमतरी में 01-01 नग ट्रेक्टर शेड ईकाई निर्माण.	कृषि अभियांत्रिकी विभाग	38.36 (@ Rs. 19.18 per Unit)
6.	330 Dt.19-04-10	प्रदेश के विभिन्न जिलों में 21 स्थानों पर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण.	पशु चिकित्सा विभाग	525.00 (@ Rs. 25.00 per Unit)
	330 Dt.19-04-10	प्रदेश के विभिन्न जिलों में 115 स्थानों पर पशु औषधालय भवन निर्माण.	-- तदैव --	575.00 (@ Rs. 05.00 per Unit)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	330 Dt.19-04-10	उप संचालक, कृषि जिला दुर्ग अंतर्गत 06 स्थानों पर कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्माण.	कृषि विभाग रायपुर	42.00 (@ Rs. 07.00 per Unit)
7.	736 Dt.06-05-10	बीज प्रक्रिया केन्द्रों में 06 नग 1500 मे. टन गोदाम निर्माण.	बीज विकास निगम लिमिटेड	264.00 (@ Rs. 44.00 per Unit)
8.	1109 Dt.20-05-10	बीज प्रक्रिया केन्द्रों में 02 नग 1500 मे. टन गोदाम निर्माण.	बीज विकास निगम लिमिटेड	110.00 (@ Rs. 55.00 per Unit)
9.	1303 Dt.28-05-10	बीज प्रमाणीकरण प्रयोग शाला भवन 03 स्थानों पर निर्माण.	बीज प्रमाणीकरण विभाग	390.00 (@ Rs. 130.00 per Unit)
10.	2005 Dt.30-06-10	लिव्कीट वर्टिकल स्टोरेज पशु चिकित्सा विभाग रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा में 01-01 स्थान पर कुल 03 स्थानों पर.	पशु चिकित्सा विभाग	01.77 (@ Rs. 0.59 per Unit)
11.	2012 Dt.30-06-10	मण्डी बोर्ड आवासीय भवन हीरापुर रायपुर में नलकूप खनन एवं पाईप फिटिंग.	मण्डी बोर्ड रायपुर	01.11

प्रपत्र 'ब'

क्र.	कार्य का नाम	प्री-क्वालिफिकेशन में प्राप्त निविदाओं के लिफाफा-डी एवं लिफाफा-ए खोलने में सफल निविदाकारों के लिफाफा-बी तकनीकी बिड खोलने की तिथि का विवरण		प्रस्तुत निविदा में खोले गये तकनीकी बिड में प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले निविदाकारों के प्राईज बिड लिफाफा-सी खोलने की तिथि का विवरण		कारण संक्षिप्त में
		निर्धारित तिथि (3)	संशोधित तिथि (4)	निर्धारित तिथि (5)	संशोधित तिथि (6)	
(1)						(7)
1.	मत्स्य बीज हेचरी ग्राम कोष्टाबांधा वि. बोडला निर्माण.	02-03-10	पूर्ववत्	05-03-10	08-03-10	तकनीकी बिड तथा प्राईज बिड खोले जाने की निर्धारित तिथि में मात्र 03 दिवस का समय अन्तराल होने के फलस्वरूप प्राप्त तकनीकी बिड्स के अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण न होने के कारण.
2.	बीज भवन मुख्यालय में बाउण्ड्रीवाल निर्माण.	19-02-10	पूर्ववत्	10-03-10	NIL	-
3.	उपपंजीयक सहकारी संस्थायें जिला रायगढ़ 200 मे. टन गोदाम 12 नग निर्माण.	19-04-10	पूर्ववत्	23-04-10	26-05-10	तकनीकी बिड तथा प्राईज बिड खोले जाने की निर्धारित तिथि में मात्र 03 दिवस का समय अन्तराल होने के फलस्वरूप प्राप्त तकनीकी बिड्स के अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण न होने के कारण.
4.	उपसंचालक, कृषि जिला कांकेर एवं कोरिया में 01-01 नग कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्माण.	23-04-10	पूर्ववत्	27-04-10	26-05-10	इसी दरम्यान राज्य शासन के पशु चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के स्वीकृत कार्य एकमुश्त बोर्ड को सौंपे जाने के कारण ड्राईंग, अनुमानक बनाकर स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण करा, त्वरित निविदा आमंत्रण करने की अपेक्षा के फलस्वरूप, इस कार्यवाही में लगने वाले समय के कारण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	प्रदेश के विभिन्न जिलों में 32 स्थानों पर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 70 स्थानों पर पशु औषधालय भवन निर्माण. जिला जरापुर अंतर्गत कुनकुरी में मुगीपालन प्रक्षेत्र निर्माण. जिला जरापुर अंतर्गत कुनकुरी में सुअर पालन प्रक्षेत्र निर्माण.	14-05-10 14-05-10 14-05-10 14-05-10	पूर्ववत् पूर्ववत् पूर्ववत् पूर्ववत्	21-05-10 21-05-10 21-05-10 21-05-10	10-06-10 10-06-10 10-06-10 10-06-10	तकनीकी बिड तथा प्राइज बिड खोले जाने की निर्धारित तिथि में मात्र 06 दिवस का समय अन्तराल था जबकि इन निविदाओं के लिये निर्धारित तिथि को खोले गये पी. क्यू. बिड में 203 निविदायें प्राप्त होने के फलस्वरूप काफी अधिक संख्या में अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण करने के लिये लगने वाले समय के कारण. इसी दरम्यान दिनांक 02-06-2010 से 08-06-2010 तक अधीक्षण अभियंता के अचानक स्वास्थ्य खराब होने से अवकाश पर जाने के कारण.
6.	उपसंचालक, कृषि जिला रायपुर 07 स्थानों पर एवं महासमुंद 03 कुल 10 स्थानों पर कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्माण. चायनीज मत्स्य हेचरी ग्राम बेलटुकरी जिला- महासमुंद निर्माण. कृषि अभियांत्रिकीय महासमुंद एवं धमतरी में 01-01 नगा ट्रेक्टर शेड ईकाई निर्माण. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 21 स्थानों पर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण.	14-05-10 14-05-10 24-05-10	पूर्ववत् पूर्ववत् पूर्ववत्	21-05-10 21-05-10 01-06-10	10-06-10 10-06-10 10-06-10	तकनीकी बिड तथा प्राइज बिड खोले जाने की निर्धारित तिथि में मात्र 06 दिवस का समय अन्तराल था जबकि इन निविदाओं के लिये निर्धारित तिथि को खोले गये पी. क्यू. बिड में 142 निविदायें प्राप्त होने के फलस्वरूप अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण करने के लिये समय कम होने के कारण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	प्रदेश के विभिन्न जिलों में 115 स्थानों पर पशु औषधालय भवन निर्माण.	24-05-10	पूर्ववत्	01-06-10	10-06-10	इसी दरम्यान दिनांक 02-06-2010 से 08-06-2010 तक अधीक्षण अभियंता के अचानक स्वस्थ खराब होने से अवकाश पर जाने के कारण.
	उपसंचालक, कृषि जिला दुर्ग अंतर्गत 06 स्थानों पर कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्माण.	24-05-10	पूर्ववत्	01-06-10	10-06-10	
7.	बीज प्रक्रिया केन्द्रों में 06 नग 1500 मे. टन गोदाम निर्माण.	29-05-10	17-06-10	03-06-10	21-06-10	उपरोक्तानुसार क्र. -05 एवं 06 के निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त निविदाओं के सूक्ष्म परीक्षण में लगने वाले समय के कारण.
8.	बीज प्रक्रिया केन्द्रों में 02 नग 1500 मे. टन गोदाम निर्माण.	23-06-10	पूर्ववत्	30-06-10	पूर्ववत्	पूर्ववत्
9.	बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला भवन 03 स्थानों में.	24-06-10	पूर्ववत्	07-07-10	पूर्ववत्	पूर्ववत्
10.	लिव्कवट वार्तिकल स्टोरेज पशु चिकित्सा विभाग रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा में 01-01 स्थान पर कुल 03 स्थानों पर	13-07-10	पूर्ववत्	13-07-10	पूर्ववत्	पूर्ववत्
11.	मण्डी बोर्ड आवासीय भवन हीरापुर रायपुर में नलकूप खनन एवं पाईप लाईन फिटिंग	13-07-10	पूर्ववत्	13-07-10	पूर्ववत्	पूर्ववत्

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 8) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

च्वाईस परियोजना के अंतर्गत दी जाने वाली नागरिक सेवाओं की सूची :—

- (1) आय प्रमाण-पत्र
- (2) जाति प्रमाण-पत्र
- (3) निवास प्रमाण-पत्र
- (4) जन्म प्रमाण-पत्र
- (5) मृत्यु प्रमाण-पत्र
- (6) बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र मुद्रण
- (7) बी.पी.एल. डाटा एन्ट्री (डाटा संग्रहण)
- (8) नजूल भूमि के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (9) जन शिकायत (न.नि.रा.)
- (10) जन शिकायत (कलेक्टोरेट)
- (11) नया राशन कार्ड
- (12) राशन कार्ड प्रतिलिपि
- (13) राशन कार्ड का समर्पण
- (14) राशन कार्ड में सुधार
- (15) भंडारण (विस्फोटक पदार्थ) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
- (16) भंडारण (केरोसीन) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
- (17) भंडारण (पेट्रोल, डीजल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
- (18) औद्योगिक उद्योग लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (19) विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (20) नजूल भूमि के पट्टे के लिये पुराना डाटा संग्रहण
- (21) नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण
- (22) नजूल भूमि के पट्टे का नामान्तरण
- (23) न.नि.रा. के दुकानों का आवंटन
- (24) न.नि.रा. के आवंटित दुकानों का नवीनीकरण
- (25) न.नि.रा. के आवंटित दुकान का आधिपत्य हस्तांतरण
- (26) नया नल कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र
- (27) आयुध अनुज्ञप्ति
- (28) आयुध अनुज्ञप्ति नवीनीकरण
- (29) स्थापना पंजीयन
- (30) स्थापना पंजीयन का नवीनीकरण
- (31) नकल दस्तावेज
- (32) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (रा.वि.प्रा.)
- (33) सम्पत्ति कर की रसीद
- (34) सम्पत्ति कर का नामांतरण
- (35) विवाह पंजीयन

प्रपत्र “ब”

च्वाईस परियोजना के अंतर्गत नागरिक सेवाओं के लिये, लिये जाने वाले शुल्क की सूची :—

सरल क्रमांक (1)	अधिसूचित नागरिक सेवा अथवा अधिसूचित नागरिक सेवाओं की श्रेणी (2)	अधिसूचित नागरिक सेवा के एक संव्यवहार के लिए सेवा प्रभार (3)
एक	आवेदन सामान्यतः (निम्न उल्लिखित को छोड़कर)	आवेदन करते समय रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र) तथा समुचित वांछित दस्तावेज प्राप्त करते समय रु. 5/- (रुपये पांच मात्र)
दो	भू-अभिलेख की प्रतियां (प्रति खसरा/बी-1/कॅडस्ट्रल ग्राम नक्शा अभिलेख, एक खाते के विभिन्न खसरा नम्बर एक अभिलेख माने जायेंगे) तथा अन्य अभिलेख यथा जन्म प्रमाण पत्र आदि अथवा अन्य समुचित वांछित दस्तावेज यदि विहित कम्प्यूटर संसाधन पर समुचित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो उपलब्ध हों.	रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र)
तीन	सूचना सेवाएं और जन शिकायत निवारण सेवाएं	रु. 10/- (रुपये दस मात्र)
चार	आवेदन की स्थिति की पूछताछ सेवाएं	रु. 2/- (रुपये दो मात्र) यदि पूछताछ उसी केन्द्र से की जाए जहां संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अन्यथा रु. 10/- (रुपये दस मात्र)

परिशिष्ट “बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 9) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र खुज्जी में स्वीकृत खनिपट्टा/उत्खनिपट्टा की जानकारी

खनिपट्टा

क्र.	पट्टेधारियों का नाम/पता	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र			अवधि
			ग्राम	खसरा क्र.	रकबा एकड़	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सरदार कुलबीर सिंह छाबड़ा, निवासी सोनारपारा, राजनांदगांव.	क्वार्टज	बहोरन, भेड़ी	169, पहाड़/ चट्टान	8.10	24-05-2006 से 23-05-2036
2.	मे. शिवा मिनरल्स प्रो. श्रीमती कुसुम बेन चावड़ा द्वारा श्री रमेश डाकलिया, सहदेव नगर, राजनांदगांव.	क्वार्टज	कापा	62,64,65/ पहाड़/चट्टान	11.33	04-02-1994 से 03-02-2014
उत्खनिपट्टा						
3.	श्रीमती रेखा चोपड़ा ध.प. हेमंत चोपड़ा निवासी डोंगरगांव.	साधारण पत्थर	हैदलकोड़ो	89, पहाड़/ चट्टान	2.50	07-05-2004 से 06-05-2014
4.	असरार आ. रफीक शेख, तकीया वार्ड भण्डारा, महाराष्ट्र.	साधारण पत्थर	पुरामटोला	158/8, निजी	1.50	03-07-2007 से 02-07-2012
5.	श्रीमती कैलाश बेन पटेल ध.प. श्री प्रकाश पटेल, वार्ड डोंगरगढ़.	साधारण पत्थर	पुरामटोला	385/3, 4, 5, 6, 7, 387/2, निजी	4.00	07-04-2007 से 06-04-2012
6.	श्री दिनेश नखत आ. गुलाब नखत, डोंगरगांव	मिट्टी, ईट निर्माण हेतु	चांदो	765/1, 2 निजी	4.00	10-10-2005 से 09-10-2015
7.	हरजीत सिंह अरोरा, खण्डूपारा, डोंगरगढ़	मिट्टी, ईट निर्माण हेतु	पिनकापार	266/10, 11 निजी	2.04	13-05-2005 से 12-05-2015
8.	श्री देवसिंग सोनकर आ. श्री मंशीर सोनकर, निवासी-सेवताटोला	मिट्टी, ईट निर्माण हेतु	रेंगाकठेरा	40/3, निजी	2.66	30-01-2005 से 29-01-2016
9.	श्रीमती कैलाश बेन ध. प. श्री प्रकाश पटेल, वार्ड डोंगरगढ़	साधारण पत्थर	जरहा/महका	119, पहाड़/ चट्टान	1.50	01-09-2006 से 31-08-2011
10.	जितेन्द्र गुप्ता आत्मज खेमचन्द्र गुप्ता, निवासी बांधाबाजार.	साधारण पत्थर	झिटिया	362, पहाड़/ चट्टान	2.00	10-11-2004 से 09-11-2014
11.	श्री माधोसिंह आत्मज स्व. दशरथ सिंह ठाकुर, निवासी बगदई.	साधारण पत्थर	झिटिया	182, पहाड़/ चट्टान	8.00	20-01-2004 से 19-01-2014

परिशिष्ट “ईक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 24) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायपुर दुग्ध संघ का माहवार दुग्ध संग्रहण

माह (1)	मात्रा हजार किलो में	
	वर्ष 2009 (2)	वर्ष 2010 (3)
जनवरी	765.70	949.84
फरवरी	729.96	761.60
मार्च	856.84	881.33
अप्रैल	770.70	843.90
मई	744.62	691.30
जून	594.00	601.80
जुलाई	516.77	--
अगस्त	457.25	--
सितम्बर	496.50	--
अक्टूबर	655.03	--
नवम्बर	880.20	--
दिसम्बर	950.15	--
योग	8417.72	4729.77

प्रतिदिन निम्न दर से :

- (अ) दिनांक 01-01-2009 से
दुग्ध (धृतांश 4.0% एवं अधृतांश 8.5%)

मात्रा	दर
150 ली. से कम	— रु. 13/ली.
151 ली. से 250 ली.	— रु. 14/ली.
251 ली. से अधिक	— रु. 15/ली.

इसके अतिरिक्त रु. 1.50 प्रतिलीटर परिवहन अनुदान दुग्ध उत्पादकों को (दिनांक 01-04-2009 से प्रदाय)

- (ब) दिनांक 11-03-10 से
दुग्ध (धृतांश 4.0% एवं अधृतांश 8.5%)

मात्रा	दर
100 ली. से कम	— रु. 14/ली.
101 ली. से 200 ली.	— रु. 15/ली.
201 ली. से 1000 ली.	— रु. 16/ली.
1001 ली. से अधिक	— रु. 17/ली.

इसके अतिरिक्त रु. 1.50 प्रतिलीटर परिवहन अनुदान दुग्ध उत्पादकों को प्रदाय किया जा रहा है.

प्रपत्र "ब"

रायपुर दुग्ध संघ के दुग्ध पदार्थ उत्पादन (प्रति माह) वर्ष 2009

माह (1)	घी मे. टन (2)	श्रीखण्ड किलो. (3)	मीठा दही किलो. (4)	पनीर किलो. (5)	मीठा दुग्ध हजार ली. (6)	मठा हजार ली. (7)	लस्सी लीटर (8)
जनवरी	9.05	1239	581	3269	3.63	4.76	1413
फरवरी	6.17	1790	1157	5861	3.90	9.48	3240
मार्च	15.03	2372	2022	3388	6.11	19.92	7437
अप्रैल	5.45	3696	2454	5270	4.72	38.02	10587
मई	6.61	3227	2866	7053	4.61	50.63	14058
जून	5.17	2642	1656	6537	4.51	35.31	10413
जुलाई	4.00	1416	470	3205	2.52	5.98	2376
अगस्त	1.27	1235	476	3037	2.88	5.64	2036
सितम्बर	4.69	1461	642	2657	4.78	6.41	2704
अक्टूबर	4.98	1319	577	2402	3.12	6.21	2132
नवम्बर	4.94	1170	488	4241	2.68	4.26	1361
दिसम्बर	6.29	979	397	4290	2.81	3.09	931
योग	73.65	22546	13786	51210	46.27	189.71	58688

रायपुर दुग्ध संघ के दुग्ध पदार्थ उत्पादन (प्रति माह) वर्ष 2010

जनवरी	5.72	1088	455	2861	2.99	2.88	865
फरवरी	5.30	1423	746	4014	3.77	6.72	2137
मार्च	4.92	3187	2017	2971	7.18	31.34	8995
अप्रैल	4.01	3097	2163	3631	6.81	68.36	9779
मई	4.10	2816	1869	4826	5.93	59.41	7033
जून	4.50	2004	1151	4913	4.71	37.90	4627
योग	28.55	13615	8401	23216	31.39	206.61	33436

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 55) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

विकासखण्डवार सहकारिता एवं व्यापारियों द्वारा दिनांक 03-07-2010 तक उठाव की जानकारी

क्र.	उर्वरक का नाम	रायगढ़/पुसौर सह.	रायगढ़/पुसौर		रायगढ़/पुसौर योग	इकाई मे. टन		
			निजी	योग		खरसिया सह.	निजी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	यूरिया	2732.00	450.00	350.00	3532.00	4038.00	450.00	4488.00
2.	डी.ए.पी.	1645.50	400.00	200.00	2245.50	1098.00	425.00	1523.00
3.	सुपर फास्फेट	463.50	1500.00	300.00	2263.50	678.00	1600.00	2278.00
4.	पोटाश	266.00	150.00	75.00	491.00	238.00	100.00	338.00
5.	12:32:16	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	31.00	31.00
6.	28:28:0	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	75.00	75.00
7.	20:20:0:13	0.00	400.00	40.00	440.00	0.00	375.00	375.00
8.	15:15:15	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	110.00	110.00
9.	10:26:26	0.00	300.00	16.00	316.00	0.00	250.00	250.00
10.	अन्य	137.00	50.00	10.00	197.00	30.00	60.00	90.00
योग		5244.00	3544.00	991.00	9779.00	6082.00	3476.00	9558.00

क्र.	उर्वरक का नाम	धरमजयगढ़			सांगढ़			बरमकेला		
		सह. (9)	निजी (10)	योग (11)	सह. (12)	निजी (13)	योग (14)	सह. (15)	निजी (16)	योग (17)
1.	यूरिया	495.00	200.00	695.00	1323.00	350.00	1673.00	1500.00	318.00	1818.00
2.	डी.ए.पी.	211.00	100.00	311.00	792.00	325.00	1117.00	1137.00	250.00	1387.00
3.	सुपर फास्फेट	389.00	200.00	589.00	1148.00	1300.00	2448.00	788.00	507.00	1295.00
4.	पोटाश	59.00	39.00	98.00	241.00	100.00	341.00	238.00	75.00	313.00
5.	12:32:16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
6.	28:28:0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	3.00	0.00	3.00
7.	20:20:0:13	0.00	0.00	0.00	2.00	300.00	302.00	0.00	21.00	21.00
8.	15:15:15	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
9.	10:26:26	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	20.00	20.00
10.	अन्य	0.00	5.00	5.00	55.00	56.00	111.00	0.00	10.00	10.00
योग		1154.00	544.00	1698.00	3561.00	2792.00	6353.00	3675.00	1201.00	4876.00

क्र.	उर्वरक का नाम	तमनार/घरघोड़ा/लैलूंगा		तमनार/घरघोड़ा/लैलूंगा		तमनार/घरघोड़ा/लैलूंगा		कुल योग			
		सहकारी	(18)	निजी	(20)	योग	(22)	सह.	(23)	निजी	(24)
1.	चूरिया	1377.15	150.00	150.00	200.00	1877.15	11465.15	2618.00	14083.15		
2.	डी.ए.पी.	618.00	25.00	75.00	73.00	791.00	5501.50	1873.00	7374.50		
3.	सुपर फास्फेट	487.00	200.00	500.00	600.00	1787.00	3953.50	6707.00	10660.50		
4.	पोटाश	37.65	25.00	50.00	75.00	187.65	1079.65	689.00	1768.65		
5.	12:32:16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	76.00	85.00		
6.	28:28:0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	264.00	267.00		
7.	20:20:10:13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1136.00	1138.00		
8.	15:15:15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	331.00		
9.	10:26:26	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00	806.00	806.00		
10.	अन्य	0.00	15.00	0.00	5.00	20.00	222.00	211.00	433.00		
योग		2519.80	415.00	785.00	963.00	4682.80	22235.80	14711.00	36946.80		

प्रपत्र "ब"

विकासखण्डवार सहकारिता एवं व्यापारियों द्वारा दिनांक 03-07-2010 तक वितरण की जानकारी

क्र.	उर्वरक का नाम	इकाई मे. टन						
		रायगढ़/पुसौर सह. (3)	रायगढ़/पुसौर निजी (4)		रायगढ़/पुसौर योग (5)	खरसिया सह. निजी योग (6) (7) (8)		
1.	यूरिया	1691.00	276.00	210.00	2177.00	1314.00	270.00	1584.00
2.	डी.ए.पी.	1572.50	237.00	116.00	1925.50	1022.00	247.00	1269.00
3.	सुपर फास्फेट	178.50	940.00	189.00	1307.50	194.00	1008.00	1202.00
4.	पोटाश	251.00	74.00	39.00	364.00	150.00	50.00	200.00
5.	12:32:16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	28:28:0	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	56.00	56.00
7.	20:20:0:13	0.00	140.00	14.00	154.00	0.00	131.00	131.00
8.	15:15:15	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	31.00	31.00
9.	10:26:26	0.00	129.00	8.00	137.00	0.00	108.00	108.00
10.	अन्य	137.00	6.00	2.00	145.00	30.00	5.00	35.00
योग		3830.00	1925.00	578.00	6333.00	2710.00	1906.00	4616.00

क्र.	उर्वरक का नाम	धरमजयगढ़			सारंगढ़			बरमकेला		
		सह. (9)	निजी (10)	योग (11)	सह. (12)	निजी (13)	योग (14)	सह. (15)	निजी (16)	योग (17)
1.	यूरिया	265.00	120.00	385.00	916.00	210.00	1126.00	867.00	191.00	1058.00
2.	डी.ए.पी.	205.00	58.00	263.00	610.00	189.00	799.00	1080.00	145.00	1225.00
3.	सुपर फास्फेट	72.00	126.00	198.00	315.00	819.00	1134.00	169.00	319.00	488.00
4.	पोटाश	56.00	20.00	76.00	120.00	49.00	169.00	176.00	38.00	214.00
5.	12:32:16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	28:28:0	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
7.	20:20:0:13	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	7.00	7.00
8.	15:15:15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
9.	10:26:26	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	9.00	9.00
10.	अन्य	0.00	1.00	1.00	55.00	5.00	60.00	0.00	2.00	2.00
योग		598.00	325.00	923.00	2016.00	1545.00	3561.00	2292.00	711.00	3003.00

क्र.	उर्वरक का नाम (2)	तमनार/घरघोड़ा/लैलूंगा		तमनार/घरघोड़ा/लैलूंगा		तमनार/घरघोड़ा/लैलूंगा		कुल योग	
		सहकारी (18)	(19)	निजी (20)	(21)	योग (22)	सह. (23)	निजी (24)	योग (25)
1.	यूरिया	716.15	90.00	90.00	120.00	1016.15	5769.15	1577.00	7346.15
2.	डी.ए.पी.	370.00	15.00	43.00	42.00	470.00	4859.50	1092.00	5951.50
3.	सुपर फास्फेट	215.00	126.00	315.00	378.00	1034.00	1143.50	4220.00	5363.50
4.	पोटाश	37.85	13.00	25.00	39.00	114.85	790.85	347.00	1137.85
5.	12:32:16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	28:28:0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00
7.	20:20:0:13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	397.00	397.00
8.	15:15:15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00
9.	10:26:26	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	350.00	350.00
10.	अन्य	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	222.00	24.00	246.00
योग		1339.00	246.00	478.00	585.00	2648.00	12785.00	8299.00	21084.00

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 88) के भाग (ख) की जानकारी]

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 13-07-2010 की स्थिति में विफल/खराब ट्रांसफार्मर का विवरण

क्र. (1)	विफल/खराब होने की तिथि (2)	ग्राम/स्थान का नाम (3)	ट्रांसफार्मर की क्षमता (के.व्ही.ए. में) (4)	टीप (5)
1.	12-07-2010	कांशीगढ़	100	विद्युत आपूर्ति बंद है
2.	12-07-2010	तान्दुलडीह	63	विद्युत आपूर्ति बंद है

परिशिष्ट “चौबीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 100) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विभाग का नाम	राशि रुपये हजार में बजट प्रावधान वर्ष 2010-11 (3)
(1)	(2)	(3)
1.	लोक निर्माण विभाग	17118992.00
2.	जल संसाधन विभाग	16655828.00
3.	आदिमजाति कल्याण विभाग	22376740.00
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	11349454.00
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6637330.00

परिशिष्ट “पच्चीस”

[अतारकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 112) के भाग (ग) की जानकारी]

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	घटक का नाम	विकासखण्डवार लाभान्वित हितग्राही एवं प्रदाय अनुदान का विवरण वर्ष 2009-10													
		जगदलपुर		बस्तर		बकावण्ड		तोकापाल		लोहंडीगुडा		दरभा		बास्तानार	
(1)	(2)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (3)	दिया गया कुल अनुदान (4)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (5)	दिया गया कुल अनुदान (6)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (7)	दिया गया कुल अनुदान (8)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (9)	दिया गया कुल अनुदान (10)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (11)	दिया गया कुल अनुदान (12)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (13)	दिया गया कुल अनुदान (14)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (15)	दिया गया कुल अनुदान (16)
1.	प्रमाणित बीज उत्पादन	0	0	4	0.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मिनीकित वितरण	255	0	1107	0.000	705	0	660	0	650	0	760	0	950	0
3.	जैविक नियंत्रण	0	0	30	0.275	0	0	0	0	50	0.458	20	0.183	40	0.366
4.	कीटनाशक रसायन	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	पौध संरक्षण यंत्र	0	0	20	0.112	20	0.112	10	0.056	0	0	0	0	0	0
6.	एन. पी. व्ही. वितरण	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सिंचाई पाईप	4	0.300	1	0.150	0	0	4	0.600	2	0.300	0	0	0	0
8.	स्प्रिंकलर सेट्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	उन्नत कृषि यंत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		259	0.300	1162	0.645	725	0.112	674	0.656	702	0.758	780	0.183	990	0.366

क्र. घटक का नाम	विकासखण्डवार लाभान्वित हितग्राही एवं प्रदाय अनुदान का विवरण वर्ष 2009-10																
	कोण्डागांव			फरसगांव			केशकाल			माकड़ी			बड़ेराजपुर			योग	
	लाभान्वित हितग्राही संख्या (17)	दिया गया कुल अनुदान (18)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (19)	दिया गया कुल अनुदान (20)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (21)	दिया गया कुल अनुदान (22)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (23)	दिया गया कुल अनुदान (24)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (25)	दिया गया कुल अनुदान (26)	लाभान्वित हितग्राही संख्या (27)	दिया गया कुल अनुदान (28)					
1. प्रमाणित बीज उत्पादन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.11					
2. मिनीकिट वितरण	696	0	1150	0	1395	0	384	0	701	0	9413	0.00					
3. जैविक नियंत्रण	30	0.275	20	0.185	40	0.366	0	0	20	0.185	250	2.29					
4. कीटनाशक रसायन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
5. पौध संरक्षण यंत्र	30	0.168	30	0.168	10	0.056	20	0.112	0	0	140	0.78					
6. एन. पी. व्ही. वितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
7. सिंचाई पाईप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1.35					
8. स्प्रेकलर सेट्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
9. उन्नत कृषि यंत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00					
योग	756	0.443	1200	0.353	1445	0.422	404	0.112	721	0.185	9818	4.535					

परिशिष्ट “छब्बीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 117) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्रमांक (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (2)	पद (3)
1.	श्री पुरुषोत्तम पतवार	स्टेनो टायपिस्ट (सेवा से पृथक)
2.	श्री भुवन डेकाटे	निज सहायक
3.	श्री प्रवीण कुमार निमजे	सहायक ग्रेड-2
4.	श्री धन्नूदास बुरडे	निज सहायक
5.	श्री राजीव अहिरे	निज सचिव
6.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले	सहायक ग्रेड-1
7.	श्री राजेश लिविंगस्टन	सहायक ग्रेड-1 (सेवा से पृथक)
8.	श्रीमती हेमलता एक्का	सहायक ग्रेड-1

प्रपत्र "ब"

क्रमांक (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (2)	पद (3)
1.	श्री रंगलाल लिखाटे	अवर सचिव
2.	श्री मुकुन्द गजभिये	अवर सचिव
3.	श्री सुनील नारायणिया	अनुभाग अधिकारी
4.	श्री विमल कुमार शांडिल्य	सहायक ग्रेड-1
5.	श्री ओमप्रकाश पातरे	सहायक ग्रेड-1
6.	श्री सुनील मैत्री	सहायक ग्रेड-1
7.	श्री प्रेमलाल निर्मलकर	सहायक ग्रेड-1
8.	श्री केनस नायक	सहायक ग्रेड-1
9.	श्री देवकीनंदन रायकवार	सहायक ग्रेड-1
10.	श्री बलभद्र सिंह कंवर	सहायक ग्रेड-2
11.	श्री पुरुषोत्तम कोष्टा	निज सहायक
12.	श्री जगदीश नारायण कोष्टा	निज सहायक
13.	श्रीमती इंदू शर्मा (राजपूत)	निज सहायक (अंतिम आवंटन के फलस्वरूप वर्तमान में म. प्र. मंत्रालय में पदस्थ)

प्रपत्र "स"

न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मचारियों के प्रकरण में स्थगन वेकेट कराने संबंधी कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आ.जा. एवं अनु. जा. विकास विभाग को दिनांक 20-04-2009, 21-07-2009, 04-03-2010, 17-05-2010 एवं 01-07-2010 को पत्र लिखे गये हैं. प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकरणों में मा. उच्च न्यायालय में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करते समय स्थगन रिक्त करने एवं दायर याचिका खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद (2)
1.	श्री भुवन डेकाटे, निज सहायक
2.	श्री प्रवीण कुमार निमजे, सहायक ग्रेड-2
3.	श्री धनूदास बुरडे, निज सहायक
4.	श्री राजीव अहिरे, निज सचिव
5.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकुसले, सहायक ग्रेड-1
6.	श्रीमती हेमलता एक्का, सहायक ग्रेड-1

परिशिष्ट “सत्ताईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 134) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

1 जनवरी 2010 से 03-07-2010 तक विकासखंड मुंगेली में खनित नलकूपों का ग्रामवार विवरण

क्र.	विकासखंड	ग्राम का नाम	खनित नलकूप की संख्या			स्थापित हैण्डपंप
			सफल	असफल	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुंगेली	संगवाकापा	1	0	1	1
2.	मुंगेली	छितापुर	1	0	1	1
3.	मुंगेली	बरेला	1	0	1	1
4.	मुंगेली	भथरी	1	0	1	1
5.	मुंगेली	पौनी	1	0	1	1
6.	मुंगेली	सुरदा	1	0	1	1
7.	मुंगेली	किरना	1	0	1	1
8.	मुंगेली	पंडरभट्टा	2	0	2	2
9.	मुंगेली	देवगांव	1	0	1	1
10.	मुंगेली	करही	1	0	1	1
11.	मुंगेली	चारभाठा	1	0	1	1
12.	मुंगेली	मदनपुर	1	0	1	1
13.	मुंगेली	कोलिहाडीह	1	0	1	1
14.	मुंगेली	दबहा	1	0	1	1
15.	मुंगेली	डोडा	1	0	1	1
16.	मुंगेली	फागुपारा	1	0	1	1
17.	मुंगेली	दुल्लापुर	1	0	1	1
18.	मुंगेली	नवागांव	1	0	1	1
19.	मुंगेली	मोतिमपुर	1	0	1	1
20.	मुंगेली	कोदवाबानी	1	0	1	1
21.	मुंगेली	निरजाम	1	0	1	1
22.	मुंगेली	बैहरसरी	1	0	1	1
23.	मुंगेली	कुआंगांव	1	0	1	1
24.	मुंगेली	नेवासपुर	1	0	1	1
25.	मुंगेली	झिटकनिया	1	1	2	1
26.	मुंगेली	दाबो	1	0	1	1
27.	मुंगेली	घरमपुरा	1	0	1	1
28.	मुंगेली	गीधा	1	0	1	1
29.	मुंगेली	लोहडीया	1	0	1	1
30.	मुंगेली	झलियापुर	1	0	1	1
31.	मुंगेली	नागोपहरी	1	0	1	1
32.	मुंगेली	फास्टरपुर	1	0	1	1
33.	मुंगेली	पालम	1	0	1	1
34.	मुंगेली	कगरियापारा	1	0	1	1
35.	मुंगेली	विचारपुर	1	0	1	1
36.	मुंगेली	शुक्लाभाठा	1	0	1	1
37.	मुंगेली	सोनपुरी	1	0	1	1
38.	मुंगेली	भीमपुरी	1	0	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	मुंगेली	मानपुर	1	0	1	1
40.	मुंगेली	चुचरुंगपुर	1	0	1	1
41.	मुंगेली	रामपुर	1	0	1	1
42.	मुंगेली	उदका	1	0	1	1
43.	मुंगेली	केहरपुर	1	0	1	1
44.	मुंगेली	सनकपाट	1	0	1	1
45.	मुंगेली	खाम्ही	1	0	1	1
46.	मुंगेली	कोलिहाडीह	1	0	1	1
47.	मुंगेली	चकरभाठा	1	0	1	1
48.	मुंगेली	बलोदी	1	0	1	1
49.	मुंगेली	अमलीडीह	1	0	1	1
50.	मुंगेली	सुरेठा	1	0	1	1
51.	मुंगेली	गिधपुरी	1	0	1	1
52.	मुंगेली	पुरान	2	0	2	2
53.	मुंगेली	लालपुर	1	0	1	1
54.	मुंगेली	गुना	1	0	1	1
55.	मुंगेली	सिंगबांधा	1	0	1	1
56.	मुंगेली	छितापुर	1	0	1	1
57.	मुंगेली	खलबोरवा	0	1	1	0
58.	मुंगेली	कोहडिया	0	1	1	0
59.	मुंगेली	दुल्लापुर	1	0	1	1
60.	मुंगेली	छोटे जल्ली	1	0	1	1
61.	मुंगेली	रजपालपुर	1	0	1	1
62.	मुंगेली	भरवागुडा	1	0	1	1
63.	मुंगेली	सेमरचुवा	1	0	1	1
64.	मुंगेली	ठाकुरकापा	1	0	1	1
65.	मुंगेली	सोनपुरी	1	0	1	1
66.	मुंगेली	मुंगेली	1	0	1	1
67.	मुंगेली	रोहराखुर्द	1	0	1	1
68.	मुंगेली	जोगीपुर	1	0	1	1
69.	मुंगेली	खम्हरिया	1	0	1	1
70.	मुंगेली	बांकी	1	0	1	1
71.	मुंगेली	पुरान	3	0	3	3
72.	मुंगेली	प्रतापपुर	1	0	1	1
73.	मुंगेली	नवागांव	2	0	2	2
74.	मुंगेली	बलोदी	1	0	1	1
75.	मुंगेली	दशरंगपुर	3	0	3	3
76.	मुंगेली	घुण्डुकापा	1	0	1	1
77.	मुंगेली	पदमपुर	1	0	1	1
78.	मुंगेली	घुठुरी	1	0	1	1
79.	मुंगेली	केकरार	1	0	1	1
80.	मुंगेली	घपई	1	0	1	1
81.	मुंगेली	भठलीकला	1	0	1	1
			86	3	89	86

1 जनवरी 2010 से 03-07-2010 तक विकासखंड लोरमी में खनित नलकूपों का ग्रामवार वितरण

क्र.	विकासखंड	ग्राम का नाम	खनित नलकूप की संख्या			स्थापित हैण्डपंप
			सफल	असफल	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लोरमी	देवरहट	4	0	4	4
2.	लोरमी	पीपरखुंटा	2	0	2	2
3.	लोरमी	हरनाचाका	2	0	2	2
4.	लोरमी	कुम्हरौली	3	0	3	3
5.	लोरमी	मोहतराकुर्मी	2	0	2	2
6.	लोरमी	सेमरसल	3	0	3	3
7.	लोरमी	तेलियापुरान	2	0	2	2
8.	लोरमी	गुरुवाईडबरी	1	0	1	1
9.	लोरमी	बैगाकापा	1	0	1	1
10.	लोरमी	चारोटी	1	0	1	1
11.	लोरमी	लछनपुर	1	0	1	1
12.	लोरमी	बुधवारा	1	0	1	1
13.	लोरमी	परसवारा	1	0	1	1
14.	लोरमी	सुकली	1	0	1	1
15.	लोरमी	बांधी	1	0	1	1
16.	लोरमी	नवगांव छोका	1	0	1	1
17.	लोरमी	कोदवामेहत	1	0	1	1
18.	लोरमी	डिडौरी	1	0	1	1
19.	लोरमी	घोधापारा	1	0	1	1
20.	लोरमी	खैरवारखुर्द	1	0	1	1
21.	लोरमी	घटोली	1	0	1	1
22.	लोरमी	लीलापुर	1	0	1	1
23.	लोरमी	लगरा	1	0	1	1
24.	लोरमी	कोसमतरा	1	0	1	1
25.	लोरमी	सिघनपुरी	4	0	4	4
26.	लोरमी	कंचनपुरी	1	0	1	1
27.	लोरमी	घाटापानी	1	0	1	1
28.	लोरमी	लोरमी	1	0	1	1
29.	लोरमी	सुरेठा	1	0	1	1
30.	लोरमी	चिल्फी	1	0	1	1
			44	0	44	44

प्रपत्र “ब”

1 जनवरी 2010 से 03-07-2010 तक विकासखंड मुंगेली में वितरण (स्थापना) किये गये पावर पंपों की
ग्रामवार जानकारी

क्र. (1)	विकासखंड (2)	ग्राम का नाम (3)	स्थापित पावर पंप (4)	रिमार्क (5)
1.	मुंगेली	बलोदी	1	
2.	मुंगेली	धनगांव गोसाई	2	
3.	मुंगेली	छितापुर	1	
4.	मुंगेली	घोरपुरा	1	
5.	मुंगेली	पुरान	1	
6.	मुंगेली	चिरहुला	1	
7.	मुंगेली	करईधपई	1	
8.	मुंगेली	सिल्ली	1	
9.	मुंगेली	बोदा	1	
10.	मुंगेली	नारायणपुर	1	
11.	मुंगेली	घुठेली	1	
12.	मुंगेली	बीजातराई	1	
13.	मुंगेली	सिंगारपुर	1	
14.	मुंगेली	कोसमा	1	
15.	मुंगेली	खम्हरिया	1	
16.	मुंगेली	पांडोतरा	1	
17.	मुंगेली	लछनपुर	1	
18.	मुंगेली	सिंगबांधा	1	
19.	मुंगेली	गुना	1	
20.	मुंगेली	बुंदेली	1	
21.	मुंगेली	बोधीपारा	1	
22.	मुंगेली	हरिहरपुर	1	
23.	मुंगेली	केस्तरा	1	
24.	मुंगेली	करूपान	1	
25.	मुंगेली	पौनी	1	
26.	मुंगेली	जमहा	1	
27.	मुंगेली	भुरका	1	
28.	मुंगेली	रोहराखुर्द	1	
29.	मुंगेली	तरवरपुर	1	
30.	मुंगेली	सोनपुरी	1	
31.	मुंगेली	दुल्लापुर	1	
32.	मुंगेली	कोरसरा	1	
33.	मुंगेली	मुसउनवागांव	1	
34.	मुंगेली	चिरौंजपुर	1	
35.	मुंगेली	टेमरी	1	
36.	मुंगेली	ठाकुरकापा	1	
37.	मुंगेली	सिघनपुर	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	मुंगेली	अनंतपुर	1	
39.	मुंगेली	टिंगीपुर	1	
40.	मुंगेली	मानपुर	1	
41.	मुंगेली	भदराली	1	
42.	मुंगेली	पलानसरी	1	
43.	मुंगेली	देवरीसंगवा	1	
44.	मुंगेली	अमलीडीह	1	
45.	मुंगेली	कुआगांव	1	
46.	मुंगेली	सोनपुरी	1	
47.	मुंगेली	झझपुरी	1	
48.	मुंगेली	भठलीखुर्द	1	
49.	मुंगेली	खैरवार मिश्र	1	
50.	मुंगेली	भठलीकला	1	
51.	मुंगेली	उसलापुर	1	
52.	मुंगेली	झुलनाखुर्द	1	
53.	मुंगेली	उमरिया	1	
54.	मुंगेली	जमकोर	1	
55.	मुंगेली	छाता	1	
56.	मुंगेली	बैहाकापा	1	
57.	मुंगेली	बिरगांव	1	
58.	मुंगेली	संबलपुर	1	
59.	मुंगेली	दाबो	1	
60.	मुंगेली	ठकुरीकापा	1	
61.	मुंगेली	बलोदी	1	
62.	मुंगेली	खैरासेतगंगा	1	
63.	मुंगेली	खलबोरवा	1	
64.	मुंगेली	घपई	1	
65.	मुंगेली	दशरंगपुर	1	
66.	मुंगेली	संगवाकापा	1	
67.	मुंगेली	कनौजियाकापा	1	
68.	मुंगेली	कौडीया	1	
69.	मुंगेली	कोलिहा	1	
70.	मुंगेली	बरेला	1	
71.	मुंगेली	कोसमा	1	
72.	मुंगेली	लालपुर	1	
73.	मुंगेली	टेढाधौरा	1	
74.	मुंगेली	भरदा	1	
75.	मुंगेली	बामपारा	1	
76.	मुंगेली	निरजाम	1	
77.	मुंगेली	सोढार	1	
78.	मुंगेली	सुरीघाट	1	
79.	मुंगेली	हरदीडीह	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
80.	मुंगेली	बैहाकापा	1	
81.	मुंगेली	जैतपुरी	1	
82.	मुंगेली	किंगरियापारा	1	
83.	मुंगेली	तालम	1	
84.	मुंगेली	चालान	1	
85.	मुंगेली	बरईदहरा	1	
86.	मुंगेली	जैतपुरी	1	
87.	मुंगेली	दशरंगपुर	1	
88.	मुंगेली	पडरभट्टा	1	
89.	मुंगेली	भैसामुडा	1	
90.	मुंगेली	दाबो	1	
91.	मुंगेली	दामापुर	1	
92.	मुंगेली	बहरपुर	1	
93.	मुंगेली	जुझारभाठा	1	
94.	मुंगेली	सिपाही	1	
95.	मुंगेली	गोरखपुर	1	
96.	मुंगेली	चकरभाठा	1	
97.	मुंगेली	मुंगेली नगर	1	
98.	मुंगेली	चुचरूंगपुर	1	
99.	मुंगेली	भूमियापारा	1	
100.	मुंगेली	खम्हरिया	1	
101.	मुंगेली	दाउकापा	1	
102.	मुंगेली	लोहडिया	1	
103.	मुंगेली	दामापुर	1	
104.	मुंगेली	ठाकुरकापा	1	
105.	मुंगेली	चमारी	1	
106.	मुंगेली	लालाकापा	1	
107.	मुंगेली	प्रतापपुर	1	
108.	मुंगेली	कंतेली	1	
109.	मुंगेली	हेडसपुर	1	
110.	मुंगेली	उपका	1	
111.	मुंगेली	सिंगबांधा	1	
112.	मुंगेली	केशलीकला	1	
113.	मुंगेली	चोरहाबुंदेली	1	
114.	मुंगेली	देवरी	1	
115.	मुंगेली	घुठेली	1	
116.	मुंगेली	चातरखार	1	
117.	मुंगेली	बाघामुड	1	
118.	मुंगेली	खैरासेतगंगा	1	
119.	मुंगेली	सेतगंगा	1	
120.	मुंगेली	गोरखपुर	1	
121.	मुंगेली	नूनीयाकछार	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
122.	मुंगेली	कोलिहाडीह	1	
123.	मुंगेली	मझगांव	1	
124.	मुंगेली	कापा	1	
125.	मुंगेली	फदवानी	1	
126.	मुंगेली	खुजहा	1	
127.	मुंगेली	बिरगांव	1	
128.	मुंगेली	दुल्लापुर	1	
129.	मुंगेली	चकरभाठा	1	
130.	मुंगेली	कोलिहा	1	
131.	मुंगेली	झलियापुर	1	
132.	मुंगेली	मोहतरा	1	
133.	मुंगेली	दशरंगपुर	1	
134.	मुंगेली	कुआगांव	1	
135.	मुंगेली	जल्लीछोटे	1	
136.	मुंगेली	फुलवारी	1	
137.	मुंगेली	पालचुंवा	1	
138.	मुंगेली	घनगांव	1	
139.	मुंगेली	चमारी	1	
140.	मुंगेली	फरहदा	1	
141.	मुंगेली	भालापुर	1	
142.	मुंगेली	विचारपुर	1	
143.	मुंगेली	टेढाधौरा	1	
144.	मुंगेली	बहरमुडा	1	

1 जनवरी 2010 से 03-07-2010 तक विकासखंड लोरमी में वितरण (स्थापना) किये गये पावर पंपों की
ग्रामवार जानकारी

क्र. (1)	विकासखंड (2)	ग्राम का नाम (3)	स्थापित पावर पंप (4)	रिमार्क (5)
1.	लोरमी	तेलियापुरान	1	
2.	लोरमी	साल्हेघोरी	1	
3.	लोरमी	मोहनपुर	1	
4.	लोरमी	लगरा	1	
5.	लोरमी	सुरजपुरा	1	
6.	लोरमी	पेण्डरीतालाब	1	
7.	लोरमी	खैरवारखुर्द	1	
8.	लोरमी	लीलापुर	1	
9.	लोरमी	घरमपुरा	1	
10.	लोरमी	परदेशीकापा	1	
11.	लोरमी	भस्करा	1	
12.	लोरमी	फुलवारीकला	1	
13.	लोरमी	ठेलका नवागांव	1	
14.	लोरमी	परसाकापा	1	
15.	लोरमी	बांधा	1	
16.	लोरमी	कोसमतरा	1	
17.	लोरमी	लोरमी	1	
18.	लोरमी	करनकापा	1	
19.	लोरमी	सेमरकोना	1	
20.	लोरमी	बांधा	1	
21.	लोरमी	गैजी	1	
22.	लोरमी	कोसमतरा	2	
23.	लोरमी	औराबांधा	1	
24.	लोरमी	छिरहुट्टी	1	
25.	लोरमी	सिघनपुरी	1	
26.	लोरमी	धौराभाठा	1	
27.	लोरमी	कठोतिया	1	
28.	लोरमी	बिठदलदह	1	
39.	लोरमी	कोयलारी	1	
30.	लोरमी	डिडौरी	1	
31.	लोरमी	डिडोल	1	
32.	लोरमी	राम्हेपुर	1	
33.	लोरमी	सारधा	1	
34.	लोरमी	नवरंगपुर	1	
35.	लोरमी	मसना	1	
36.	लोरमी	पीपरखुंटा	1	
37.	लोरमी	करीलकुंडा	1	
38.	लोरमी	चिल्फी	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	लोरमी	खैरवार	1	
40.	लोरमी	मोहतराकुर्मी	1	
41.	लोरमी	बघमार	1	
42.	लोरमी	झाफल	1	
43.	लोरमी	अमलडीही	1	
44.	लोरमी	चंद्रपुर	1	
45.	लोरमी	परसवारा	1	
46.	लोरमी	महरपुर	1	
			कुल	47